राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 154वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 154वीं बैठक दिनांक 27/09/2023 को अपरान्ह 02:30 बजे संपन्न हुई।

बैठक के प्रारंभ में तकनीकी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव का स्वागत किया गया। तदुपरांत एजेण्डावार चर्चाकर निम्नानुसार निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–1 **राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 153वीं बैठक दिनांक 15/09/2023 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 153वीं बैठक दिनांक 15/09/2023 को आयोजित की गई थी। प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–2 **राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्याकंन समिति, छत्तीसगढ़ की 473वीं बैठक दिनांक 28/06/2023 की अनुशंसा के आधार पर गौण/मुख्य खनिजों एवं औद्योगिक परियोजनाओं संबंधी प्रकरणों में निर्णय लिया जाना।**

1. मेसर्स खम्हारडीह लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री पवन कुमार अग्रवाल), ग्राम–खम्हारडीह, तहसील–पथरिया, जिला–मुंगेली (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2414)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 428624/ 2023, दिनांक 11/05/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–खम्हारडीह, तहसील–पथरिया, जिला–मुंगेली स्थित खसरा क्रमांक 195/1, 195/2, 195/5, 195/6, 195/7, 195/8, 196/1, 196/2, 196/3, 196/4, 196/6 एवं 196/7, कुल क्षेत्रफल–0.66 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–4,977.17 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 473वीं बैठक दिनांक 28/06/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विष्णु अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 195/1, 195/2, 195/5, 195/6, 195/7, 195/8, 196/1, 196/2, 196/3, 196/4, 196/6

एवं 196/7, कुल क्षेत्रफल–0.66 हेक्टेयर, क्षमता–4,977.17 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–मुंगेली द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 01/02/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 31/01/2022 के लिए वैध थी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसारः–

"9A. Notwithstanding anything contained in this Notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this Notification in view of outbreak of Corona Virus (COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 31/01/2023 तक वैध थी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 22/खलि.–02 उ.प./2023 मुंगेली, दिनांक 18/04/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार हैः–

वर्षवार	उत्पादन (टन)
2018–19	2,800
2019–20	4,700
2020–21	4,375
2021–22	4,775
2022–23 (जनवरी 2023 तक)	3,950

समिति का मत है कि दिनांक 01/02/2023 से किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत रामबोड़ का दिनांक 20/04/2002 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि प्रशासन), जिला–

बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 1500/ख.लि/तीन–1/2016 बलौदाबाजार, दिनांक 06/12/2016 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 1000/खलि–02/2020 मुंगेली, दिनांक 26/12/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 7 खदानें, क्षेत्रफल 7.52 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 998/खलि–02/2020 मुंगेली, दिनांक 26/12/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट, बांध आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **लीज का विवरण** – लीज श्री पवन कुमार अग्रवाल के नाम पर है। लीज डीड 15 वर्षों अर्थात् दिनांक 19/08/2017 से 18/08/2032 तक की अवधि हेतु वैध है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 196/3 श्री हीरा लाल एवं खसरा क्रमांक 195/1, 195/2, 195/5, 195/6, 195/7, 195/8, 196/1, 196/2, 196/4, 196/6 एवं 196/7 आवेदक के नाम पर है। समिति का मत है कि उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बिलासपुर वनमण्डल, जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./3421 बिलासपुर, दिनांक 17/05/2002 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–भकुरीडीह 810 मीटर, स्कूल ग्राम–भकुरीडीह 1 कि.मी. एवं अस्पताल बिल्हा 9.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.35 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 21.30 कि.मी. दूर है। मनियारी नदी 840 मीटर, तालाब 560 मीटर, नाला 300 मीटर एवं नहर 137 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 1,15,500 टन, माईनेबल रिजर्व 52,905 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 47,614 टन है। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 92,611 टन, माईनेबल रिजर्व 30,016 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 27,014 टन शेष है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,651.52 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। वर्तमान में

लीज क्षेत्र के भीतर ऊपरी मिट्टी अवस्थित नहीं है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	4,761.03	षष्टम	4,760.74
द्वितीय	4,761.01	सप्तम	4,977.17
तृतीय	4,761.13	अष्टम	4,510.28
चतुर्थ	4,761.12	नवम	4,606.66
पंचम	4,791.71	दशम	4,925.09

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी उत्खनित होने के कारण लीज क्षेत्र से लगी हुई भूमि खसरा क्रमांक 196/5 एवं 197/2 में 174 मीटर लम्बाई तक 4 पंक्तियों में 348 नग एवं 50 मीटर लम्बाई तक 3 पंक्तियों में 75 नग, इस प्रकार कुल 423 नग वृक्षारोपण किया जाना है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह भी बताया गया कि लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी के कुल क्षेत्रफल अनुसार 3 पंक्तियों में 525 नग वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। अतः शेष 100 नग पौधों का वृक्षारोपण सी.ई.आर. के तहत् किये जाने वाले (पवित्र वन निर्माण या नदी के किनारे) वृक्षारोपण में अतिरिक्त शामिल करते हुए पूर्ण किया जाएगा। समिति का मत है कि उपरोक्त वृक्षारोपण को प्रथम वर्ष में ही पूर्ण किये जाने तथा आगामी 4 वर्षों में वृक्षारोपण (90 प्रतिशत की जीवन दर से) हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 2,651.52 वर्गमीटर क्षेत्र है, जो 8 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वारी प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः जाँच उपरांत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt

shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/03/2023 से प्रारंभ किया गया है। उक्त के संबंध में दिनांक 27/02/2023 को सूचना दी गई थी।

18. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 1000/खलि–02/2020 मुंगेली, दिनांक 26/12/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 7 खदानें, क्षेत्रफल 7.52 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–खम्हारडीह) का रकबा 0.66 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–खम्हारडीह) को मिलाकर कुल रकबा 8.18 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

4. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit the previous year production detail from 01/02/2023 to till date from the mining department.

iii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

iv. Project proponent shall submit the Land owner consent letter for mining.

v. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

vi. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

vii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

viii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

ix. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

x. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xi. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xiii. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xiv. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.

xv. Project proponent shall undertake plantation within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xvi. Project proponent shall submit CER proposals with details of plantation works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years & incorporate the details in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 27/09/2023 को संपन्न 154वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तो के अधीन जारी करने का निर्णय लिया गया:–

i. Project proponent shall submit compliance report of previous environmental clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

ii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि:–

(1) (i) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग कियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिख किया जाए।

(ii) प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को पत्र लेख किया जाए।

(iii) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन से पर्यावरण को क्षति होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

(2) पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर तथा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

2. मेसर्स चुईया सेण्ड माईन (सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत चुईया), ग्राम–चुईया, तहसील व जिला–कोरबा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2415)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर– एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 428981/2023, दिनांक 11/05/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। खदान ग्राम–चुईया, तहसील व जिला–कोरबा स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 638, कुल क्षेत्रफल – 1.173 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन चुईया नाला से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित रेत उत्खनन क्षमता – 9,518 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 473वीं बैठक दिनांक 28/06/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शिवराज सिंह, सरपंच, ग्राम पंचायत चुईया उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत चुईया का दिनांक 01/02/2023 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
4. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 937/खनिज/उ.या.अ./2023–24 कोरबा, दिनांक 09/05/2023 द्वारा अनुमोदित है।
5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 924/कले./खनिज/2023 कोरबा, दिनांक 08/05/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 922/कले./खनिज/2023 कोरबा, दिनांक 08/05/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, मरघट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। खदान के डाउनस्ट्रीम में 131 मीटर की दूरी पर एनीकट स्थित है।

7. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. सचिव/सरपंच ग्राम पंचायत चुईया के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 732/खलि–2/2023 कोरबा, दिनांक 06/04/2023 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 1 वर्ष हेतु वैध है। जारी एल.ओ.आई. में "गौण खनिज साधारण रेत हेतु उत्खनन पट्टा विलेख के पंजीयन दिनांक से 5 वर्ष की अवधि के लिए उत्खनन पट्टा स्वीकृति के लिए निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति हेतु यह आशय–पत्र (LOI) जारी किया जा रहा है" का उल्लेख है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कोरबा वनमण्डल, जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक/तक.अ./1863 कोरबा, दिनांक 14/03/2023 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–चुईया 700 मीटर, स्कूल ग्राम–चुईया 1 कि.मी. एवं अस्पताल बाल्को नगर 8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 कि.मी. राज्यमार्ग 21 कि.मी. दूर है। खदान के डाउनस्ट्रीम में 131 मीटर की दूरी पर एनीकट स्थित है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल स्थित नहीं है।

11. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 66 मीटर, न्यूनतम 36 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 583 मीटर, न्यूनतम 582 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 26 मीटर, न्यूनतम 13 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 21 मीटर, न्यूनतम 8 मीटर है।

12. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा–9,518 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 2 गढ्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 2.685 मीटर से अधिक है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खनन के दौरान पानी आने के कारण और अधिक गहराई तक रेत उत्खनन नहीं किया गया।

13. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 01/06/2023 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

14. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – खदान के 131 मीटर डाउनस्ट्रीम में एनीकट स्थित है। नये गाइडलाईन अनुसार एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। उपरोक्तानुसार एनीकट से न्यूनतम 250 मीटर दूरी छोड़ते हुये 2,212 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य खदान के अवशेष 9,518 वर्गमीटर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त का उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
10.97	2%	0.219	Following activities at Nearby, Village- Chuiya	
			Plantation in Village Pond Boundary	0.354
			TOTAL	0.354

16. सी.ई.आर. के अंतर्गत ग्राम चुईया के बाजार हाट तालाब के किनारे चारों ओर कुल 50 नग पौधों को रोपण किया जाएगा। वृक्षारोपण हेतु (आम, जाम, इमली आदि) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 2,500 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 20,000 रूपये, खाद के लिए राशि 500 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 3,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 26,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 9,400 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। इस बाबत् ग्राम पंचायत चुईया का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त कार्य को किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

17. **वृक्षारोपण कार्य** – ग्राम पंचायत द्वारा वृक्षारोपण हेतु सहमति प्राप्त भूमि खसरा क्रमांक 705 के 108.3 हेक्टेयर में से 1.0 हेक्टेयर क्षेत्र पर (पीपल, नीम, आम, जामुन आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 400 नग पौधों के लिए राशि 28,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 88,000 रूपये, खाद के लिए राशि 4,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए राशि 18,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 1,38,000 रूपये प्रथम वर्ष में एवं कुल राशि 84,800 रूपये आगामी 4 वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त कार्य को किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

18. समिति का मत है कि लीज क्षेत्र के भीतर गैर माईनिंग क्षेत्र में सीमा स्तंभ लगाया जाना आवश्यक है। साथ ही लीज क्षेत्र के चारों कोनो तथा सीमा लाईन के मध्य में सीमेंट के खम्भे लगाया जाना आवश्यक है, ताकि लीज क्षेत्र नदी में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सके।

19. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

20. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के है। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से ही कराई जावें। भारी वाहनों के नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। चुईया नाला छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. आवेदित खदान (ग्राम–चुईया) का रकबा 1.173 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

3. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।

   ii. पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   iii. इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 6 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स चुईया सेण्ड माईन (सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत चुईया), पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 638, ग्राम–चुईया, तहसील व जिला–कोरबा, कुल लीज क्षेत्रफल 1.173 हेक्टेयर में से माईनिंग प्लान अनुसार गैर माईनिंग क्षेत्र 2,212 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 0.9518 हेक्टेयर उत्खनन हेतु वैध क्षेत्र का कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 5,710 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

5. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।

6. ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत् 60 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 27/09/2023 को संपन्न 154वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स चुईया सेण्ड माईन (सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत चुईया) को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा निर्धारित शर्तो के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

3. मेसर्स अमलडीहा सेण्ड माईन (प्रो.– श्री निलेश चन्द्र भार्गव), ग्राम–अमलडीहा, तहसील–मस्तुरी, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2416)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर– एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 428983/2023, दिनांक 11/05/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। खदान ग्राम–अमलडीहा, तहसील–मस्तुरी, जिला–बिलासपुर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक

512, कुल क्षेत्रफल–4.09 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन शिवनाथ नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित रेत उत्खनन क्षमता–77,710 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 473वीं बैठक दिनांक 28/06/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अभिषेक यादव, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत अमलडीहा का दिनांक 12/01/2016 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
4. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख. प्रशा.), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 252/खनि/रेत/उत्खनन प्लान/2023 बिलासपुर, दिनांक 27/04/2023 द्वारा अनुमोदित है।
5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 253/खनि/रेत/प्रमाण पत्र/2023 बिलासपुर, दिनांक 27/04/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 253/खनि/रेत/प्रमाण पत्र/2023 बिलासपुर, दिनांक 27/04/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, मरघट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. श्री निलेश चन्द्र भार्गव के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 3335/खनि/रेत नीलामी/2023 बिलासपुर, दिनांक 17/03/2023 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध है। जारी एल.ओ.आई. में "रेत खदान उत्खनन पट्टा अवधि 2 वर्ष की स्वीकृति के लिए निम्नलिखित शर्तों के पूर्ति हेतु यह आशय पत्र जारी किया जा रहा है" का उल्लेख है।
8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – आवेदित क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुए वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–अमलडीहा 340 मीटर, स्कूल ग्राम–अमलडीहा 400 मीटर एवं अस्पताल कसडोल 9.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 29.35 कि.मी. राज्यमार्ग 9.35 कि.मी. दूर है। तालाब 170 मीटर, सड़क 200 मीटर, नहर 1.2 कि.मी., नाला 1.9 कि.मी. एवं एनीकट 7.6 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं है।

11. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 530 मीटर, न्यूनतम 510 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 263 मीटर, न्यूनतम 258 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 160 मीटर, न्यूनतम 155 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 62 मीटर, न्यूनतम 60 मीटर है।

12. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 4 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा– 77,710 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 5 गढ्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 4.09 मीटर है। खनन के दौरान औसत 3.55 मीटर गहराई में पानी आने के कारण अधिकतम औसत गहराई 4.09 मीटर तक ही किया जा सका। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों ओर, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 29/03/2023 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
31.42	2%	0.6284	Following activities at Nearby, **Village- Amaldiha**	
			Plantation arround the village pond	0.90
			Total	**0.90**

15. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर कुल 30 नग पौधों को रोपण किया जाएगा। वृक्षारोपण हेतु (आम, जामुन, कटहल आदि) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 3,000 रूपये, ट्री–गार्ड के लिए राशि 4,500 रूपये, खाद के लिए राशि 1,500 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 15,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 24,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 66,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत अमलडीहा के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 295, क्षेत्रफल 1.39 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

16. **वृक्षारोपण कार्य** – नदी तट में 600 नग एवं पहुंच मार्ग में 200 नग, इस प्रकार कुल 800 नग (अर्जुन, जामुन, शीशम, करंज, कदंब आदि) पौधे के वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 80,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,20,000 रूपये, खाद के लिए राशि 40,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए राशि 1,50,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 3,90,000 रूपये प्रथम वर्ष में एवं कुल राशि 7,60,000 रूपये आगामी 4 वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि नदी के पाट में वृक्षारोपण किये जाने की दशा में बाढ़ की सीमा (Flood level) को ध्यान में रखते हुये नदी के किनारे वृक्षारोपण (River Bank) किया जाए।

17. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

18. खदान के आस–पास नदी तट एवं पहुंच मार्ग में सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

19. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

23. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 214 में दिये गये निर्देश का पालन किया जावेगा इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा

निर्देशों का पालन किया जाएगा। इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

26. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के है। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से ही कराई जावें। भारी वाहनों के नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। शिवनाथ नदी बड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. आवेदित खदान (ग्राम–अमलडीहा) का रकबा 4.09 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

3. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।

   ii. पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   iii. इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के

आंकड़ें दिसम्बर 2023, 2024, 2025 एवं प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2023, 2024, 2025 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

4. आवेदित क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुए वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स अमलडीहा सेण्ड माईन (प्रो.– श्री निलेश चन्द्र भार्गव), पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 512, ग्राम–अमलडीहा, तहसील–मस्तुरी, जिला–बिलासपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 4.09 हेक्टेयर क्षेत्र के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 46,600 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से दो वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों/यंत्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

6. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।

7. ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत् 60 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 27/09/2023 को संपन्न 154वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये मेसर्स अमलडीहा सेण्ड माईन (प्रो.– श्री निलेश चन्द्र भार्गव) को पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

2. आवेदित क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुए वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

3. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स कुदुरमाल सेण्ड माईन (सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत कुदुरमाल), ग्राम–कुदुरमाल, तहसील व जिला–कोरबा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2418)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर– एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 429125/2023, दिनांक 12/05/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। खदान ग्राम–कुदुरमाल, तहसील व जिला–कोरबा स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 01, कुल क्षेत्रफल–4 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन हसदेव नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित रेत उत्खनन क्षमता–57,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 473वीं बैठक दिनांक 28/06/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संजय कुमार चंद्रा, सचिव, ग्राम पंचायत कुदुरमाल उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कुदुरमाल का दिनांक 13/03/2023 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
4. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 938/खनिज/उ.या.अ./2023–24 कोरबा, दिनांक 09/05/2023 द्वारा अनुमोदित है।
5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 949/खलि–/2023 कोरबा, दिनांक 11/05/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 947/खलि–/2023 कोरबा, दिनांक 11/05/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, मरघट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. सचिव/सरपंच ग्राम पंचायत कुदुरमाल के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 769/खलि–2/2023 कोरबा, दिनांक 17/04/2023 द्वारा जारी की

गई, जिसकी अवधि 1 वर्ष हेतु वैध है। जारी एल.ओ.आई. में "गौण खनिज साधारण रेत हेतु उत्खनन पट्टा विलेख के पंजीयन दिनांक से 5 वर्ष की अवधि के लिए उत्खनन पट्टा स्वीकृति के लिए निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति हेतु यह आशय–पत्र (LOI) जारी किया जा रहा है" का उल्लेख है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कोरबा वनमण्डल, जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक/तक.अ./1865 कोरबा, दिनांक 14/03/2023 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 3.45 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–कुदुरमाल 350 मीटर, स्कूल ग्राम–कुदुरमाल 600 मीटर एवं अस्पताल उरगा 2.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 500 मीटर एवं राज्यमार्ग 2.4 कि.मी. दूर है। तालाब 850 मीटर, नाला 350 मीटर, नहर 740 मीटर एवं रोड ब्रिज 1.3 कि.मी. दूर है। खदान के 365 मीटर डाउनस्ट्रीम में एनीकट स्थित है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल स्थित नहीं है।

11. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 660 मीटर, न्यूनतम 565 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 400 मीटर, न्यूनतम 398 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 101 मीटर, न्यूनतम 100 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 180 मीटर, न्यूनतम 90 मीटर है।

12. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 4 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1.5 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा–57,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 4 गढ्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 4 मीटर है। खनन के दौरान औसत 3.13 मीटर गहराई में पानी आने के कारण अधिकतम औसत गहराई 4 मीटर तक ही किया जा सका। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारो ओर, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 29/04/2023 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh	Percentage of Capital Investment	Amount Required for CER	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)

Rupees)	to be Spent	Activities (in Lakh Rupees)	Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
35.50	2%	0.71	Following activities at Nearby, **Village- kudurmal**	
			Plantation around the village pond	0.90
			Total	**0.90**

15. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर कुल 30 नग पौधों को रोपण किया जाएगा। वृक्षारोपण हेतु (आम और जामुन आदि) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 3,000 रूपये, ट्री–गार्ड के लिए राशि 4,500 रूपये, खाद के लिए राशि 1,500 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 15,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 24,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 66,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत कुदुरमाल के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (तालाब के चारों खसरा क्रमांक 271, क्षेत्रफल 1.931 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

16. **वृक्षारोपण कार्य** – नदी तट में 600 नग एवं पहुंच मार्ग में 200 नग, इस प्रकार कुल 800 नग (अर्जुन, जामुन, शीशम, करंज, कदंब आदि) पौधे के वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 80,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,20,000 रूपये, खाद के लिए राशि 40,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए राशि 1,50,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 3,90,000 रूपये प्रथम वर्ष में एवं कुल राशि 7,60,000 रूपये आगामी 4 वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि नदी के पाट में वृक्षारोपण किये जाने की दशा में बाढ़ की सीमा (Flood level) को ध्यान में रखते हुये नदी के किनारे वृक्षारोपण (River Bank) किया जाए।

17. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

18. खदान के आस–पास नदी तट एवं पहुंच मार्ग में सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

19. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन

मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

23. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 214 में दिये गये निर्देश का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) दिया गया है कि अनुमोदित उत्खनन योजना में दिए माइनेबल रिजर्व का 60 प्रतिशत रिजर्व ही उत्खनन किया जाएगा एवं खदान में तथा खनन के दौरान सस्टेनेबल सेंड माइनिंग गाइडलाईन 2016 एवं इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाईडलाइन फॉर सेंड 2020 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

26. पर्यावरण स्वीकृति में दिए गए शर्तो का पालन किया जाएगा एवं अर्धवार्षिक पालन प्रतिवेदन पर्यावरण कार्यालय में जमा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

27. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

28. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के है। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से ही कराई जावें। भारी वाहनों के नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1.5 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। हसदेव नदी बड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित खदान (ग्राम–कुदुरमाल) का रकबा 4 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

3. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।

   ii. पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   iii. इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 6 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स कुदुरमाल सेण्ड माईन (सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत कुदुरमाल), पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 01, ग्राम–कुदुरमाल, तहसील व जिला–कोरबा, कुल लीज क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 36,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

5. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।

6. ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत् 60 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 27/09/2023 को संपन्न 154वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स कुदुरमाल सेण्ड माईन (सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत कुदुरमाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा निर्धारित शर्तो के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का

पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

5. मेसर्स विघ्नेश्वर इस्पात प्राईवेट लिमिटेड (यूनिट–2), ग्राम–चरौदा, तहसील–धरसीवां, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2419)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/ 429133/2023, दिनांक 13/05/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–चरौदा, तहसील–धरसीवां, जिला–रायपुर स्थित प्लाट नं 19 स्थित खसरा क्रमांक 717/3 एवं 717/4, कुल क्षेत्रफल–0.717 हेक्टेयर में रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स (थ्रू रि–हिटिंग फर्नेस विथ कोल बेस्ड गैसीफायर) क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल विनियोग 8 करोड़ रूपये होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 473वीं बैठक दिनांक 28/06/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री निखिल आहूजा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उद्योग की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत चरौदा का दिनांक 03/09/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **जल एवं वायु सम्मति** –

   - क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स क्षमता (थ्रू रि–हिटिंग फर्नेस विथ कोल बेस्ड गैसीफायर) – 30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति दिनांक 18/11/2020 को जारी की गई, जो कि उत्पादन प्रारंभ माह के प्रथम दिन से 12 माह की अवधि तक वैध थी।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **भू–स्वामित्व** – भू–स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की गई, जिसके अनुसार भूमि विघ्नेश्वर इस्पात प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर है।

4. **समीपस्थ स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी** –

- समीपस्थ आबादी ग्राम चरोदा 1 कि.मी., स्कूल चरोदा 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल उरला 11.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन मांढर 6 कि.मी. एवं स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 23.5 कि.मी. की दूरी पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 600 मीटर एवं राज्यमार्ग 5.5 कि.मी. दूर है। खारून नदी 4.9 कि.मी. एवं कुल्हन नाला 5.5 कि.मी. दूर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

5. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

S.No.	Particular	Area in (Sq.M)	Area in (%)
1.	Rolling Mill Area	1,363	19.01
2.	Raw Material Area	375	5.23
3.	Finished Products Area	375	5.23
4.	Parking	208	2.9
5.	Office	135	1.88
6.	Green Belt	2,868	40
7.	Road Area	1,143	15.94
8.	Open Area	703	9.81
	Total	**7,170**	**100**

6. **रॉ–मटेरियल :–**

S.No	Raw Material	Quantity (TPA)	Source	Mode of Transport
1.	Ingots/Billets	31,500	Local Market & Outside of State	By road

7. **प्रस्तावित कार्यकलाप का विवरण निम्नानुसार है:–**

S. No.	Particular	Proposed
1.	Unit	Regularization of existing Re-heating Rolling Mill
2.	Products	Re-rolled products – 30,000 TPA

8. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में रि–हिटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल में ईंधन के रूप में कोयले को कोल गैसीफायर के माध्यम से गैस का उपयोग किया जाता है। कोल गैसीफायर से जनित टॉर को अधिकृत कोल टॉर इकाई को प्रदाय किया जाना बताया गया है। कोल गैसिफायर आधारित रि–हिटिंग फर्नेश रोलिंग मिल में उच्च दक्षता का वेट स्क्रबर एवं 30 मीटर ऊंचाई की चिमनी स्थापित होना बताया गया है। स्थापित चमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर रखा जाता है। फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है।

9. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – रोलिंग मिल से मिल स्केल–800 टन प्रतिवर्ष एवं एण्ड कटिंग–700 टन प्रतिवर्ष अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है। मिल स्केल एवं एण्ड कटिंग को समीपस्थ स्टील उद्योग इकाई को विक्रय किया जाता है।

10. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु प्रारंभ में कुल 12 घनमीटर (वन टाईम) जल की आवश्यकता होती है। परियोजना के नियमित संचालन हेतु फ्रेश वॉटर कुल 9 घनमीटर प्रतिदिन (औद्योगिक उपयोग हेतु 3 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन एवं ग्रीन बेल्ट एवं डस्ट स्प्रेशन हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन) उपयोग किया जाता है। जल की आपूर्ति भू–जल से की जाती है। समिति का मत है कि भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से कुलिंग उपरांत जनित दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोक पीट स्थापित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाती है।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसारः–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग/ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

11. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु 1000 के.व्ही.ए. विद्युत की आवश्यकता है। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से किया जाता है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 125 के.व्ही.ए. क्षमता का 1 नग डी.जी. सेट स्थापित किया जाएगा।

12. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 0.284 हेक्टेयर (40 प्रतिशत) क्षेत्र में 710 वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि वृक्षारोपण हेतु (पौधों की संख्या सहित) पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 01 मार्च 2023 से 31 मई 2023 के मध्य किया गया। उक्त के संबंध में सूचना दी गई।

14. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार "The Central Government hereby directs that all the standalone re-rolling units or cold rolling units, which are in existence and in operation as on the

date of this notification, with valid Consent to Establish (CTE) and Consent to Operate (CTO) from the concerned State Pollution Control Board or the Union territory Pollution Control Committee, as the case may be, shall apply online for grant of Terms of Reference (ToR) followed by Environment Clearance and the said units shall be granted Standard Terms of Reference as per item 3(a) of the said notification and shall be exempted from the requirement of public consultation.

Provided that the application for the grant of ToR shall be made within a period of one year from the date of this notification." का उल्लेख है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (बिना लोक सुनवाई) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन–फेरस) हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गईः–

i. Project proponent shall submit certified compliance report from Chhattisgarh Environment Conservation Board of air and water consent.

ii. Project proponent shall submit the plant layout plan alongwith KML file.

iii. Project proponent shall submit details of air pollution control equipments with stack height calculation and pollution emission level calculation.

iv. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

v. Project proponent shall submit the annual audited balance sheet of last financial year.

vi. Project proponent shall submit NOC from CGWA for withdrawal of ground water.

vii. Project Proponent shall submit the details of coal gasifier along with its capacity use in reheating furnace.

viii. Project proponent shall submit the details of phenolic water generation and its disposal facility / mechanism.

ix. Project Proponent shall submit detailed proposal for maintaining zero liquid discharge condition.

x. Project proponent shall submit the details of solid waste generation from the unit.

xi. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xiii. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.

xiv. Project proponent shall submit details of Traffic impact study report.

xv. Project proponent shall submit details of DG set alongwith stack height calculation.

xvi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xvii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xviii. Project Proponent shall submit proposal in detail for preparing and maintaining green belt of 40% of the total plot area, in case there is restriction of land availability within plant premises for 40% green belt development, then the unit shall carry 33% green belt development within the plant premises and balance plantation within a radius of 05 km from its premises to achieve the required plantation target of 40%.

xix. Project proponent shall submit the details of plantation undertaken during the current year & shall submit the details of proposed plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xx. Project proponent shall submit CER proposal of atleast 1.5 times the slab given in the OM dated 01.05.2018 for SPA and 2 times for CPA.

xxi. Project proponent shall submit CER proposals of plantation with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 27/09/2023 को संपन्न 154वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (बिना लोक सुनवाई) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (बिना लोक सुनवाई) जारी किया जाए।

6. मेसर्स सेंचुरी स्टील एण्ड पावर एल.एल.पी., ग्राम–उरला, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2420)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/ 429204/2023, दिनांक 13/05/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा उरला औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम–उरला, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 282/1, 282/3, 282/4, 282/5, 282/6, 282/7, 282/8, 284/4, 284/5, 284/6, 284/7 एवं 297/2 स्थित कुल क्षेत्रफल–2.443 हेक्टेयर में रि–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स (सी.टी.डी. बार्स एण्ड

राउण्ड्स, फ्लैट सेक्शन्स, टी.एम.टी. बार्स) क्षमता – 17,700 टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल विनियोग 2 करोड़ रूपये होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 473वीं बैठक दिनांक 28/06/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मनोज अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. **जल एवं वायु सम्मति –**

   - क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा सी.टी.डी. बार्स एण्ड राउण्ड, फ्लैट सेक्शन्स, टी.एम.टी. बार्स, क्षमता–17,700 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 31/05/2023 को जारी की गई, जो दिनांक 31/03/2025 तक वैध है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. एल.एल.पी. (Limited Liability Partnership) एग्रीमेंट की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार श्री मनोज कुमार अग्रवाल, श्रीमती रेणु अग्रवाल एवं श्री धवल अग्रवाल, लिमिटेड लाईबिलिटी पार्टनर है।

3. **भू–स्वामित्व** – भू–स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की गई, जिसके अनुसार भूमि श्रीमती रेणु अग्रवाल के नाम पर है।

4. **समीपस्थ स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

   - समीपस्थ आबादी ग्राम–बेंद्री 400 मीटर एवं रायपुर शहर 7.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन रायपुर 7.9 कि.मी. एवं स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 21 कि.मी. की दूरी पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4.6 मीटर दूर है। खारून नदी 2.1 कि.मी. दूर है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

5. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

S.No.	Particular	Area in (Sq.M)	Area in (%)
1.	Rolling Mill Area	5,252.45	21.5
2.	Raw Material	1,954.40	8
3.	Finished Goods Area	2,320.85	9.5
4.	Cooling Shed	977.20	4

5.	Office	610.75	2.5
6.	Greenbelt	8,065.00	33.01
7.	Road Area	3,849.25	15.75
8.	Open Area	1,400.10	5.74
	Total	**24,429.9**	**100**

6. **रॉ–मटेरियल :–**

S.No	Raw Material	Quantity (TPA)	Source	Mode of Transport
1.	Billets	18,500	Open Market	By road

7. **प्रस्तावित कार्यकलाप का विवरण निम्नानुसार है:–**

S. No.	Particular	Proposed
1.	Unit	Regularization of existing Re-heating Rolling Mill
2.	Products	Re-rolled products – 17,700 TPA

8. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में रि–हिटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल में ईंधन के रूप में फर्नेस ऑयल का उपयोग किया जाता है। स्थापित रि–हिटिंग फर्नेश रोलिंग मिल में उच्च दक्षता का वेट स्क्रबर एवं 30 मीटर ऊंचाई की चिमनी स्थापित होना बताया गया है। स्थापित चमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर रखा जाता है। फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है।

9. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – रोलिंग मिल से मिल स्केल–450 टन प्रतिवर्ष एवं एण्ड कटिंग–350 टन प्रतिवर्ष अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है। मिल स्केल एवं एण्ड कटिंग को समीपस्थ स्टील उद्योग इकाई को विक्रय किया जाता है। साथ ही यूज्ड ऑयल 0.1 किलोलीटर प्रतिवर्ष जनित होता है, जिसे अधिकृत इकाई को विक्रय हेतु उपलब्ध कराया जाएगा।

10. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु प्रारंभ में कुल 14 घनमीटर (वन टाईम) जल की आवश्यकता होती है। परियोजना के नियमित संचालन हेतु फ्रेश वॉटर कुल 8 घनमीटर प्रतिदिन (औद्योगिक उपयोग हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 1.5 घनमीटर प्रतिदिन एवं ग्रीन बेल्ट एवं डस्ट स्प्रेशन हेतु 2.5 घनमीटर प्रतिदिन) उपयोग किया जाता है। जल की आपूर्ति भू–जल से की जाती है। समिति का मत है कि भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोक पीट स्थापित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाती है।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसारः–

(अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

(ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग/ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

11. **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की गणना सहित जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

12. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु 2 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता है। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से किया जाता है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 250 के.व्ही.ए. क्षमता का डी.जी. सेट स्थापित किया जाएगा।

13. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 0.81 (33 प्रतिशत) क्षेत्र में 2,450 नग पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि हरित पट्टिका का क्षेत्रफल 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत किया जाना आवश्यक है एवं वृक्षारोपण हेतु (पौधों की संख्या सहित) पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 01 मार्च 2023 से 31 मई 2023 के मध्य किया गया। उक्त के संबंध में सूचना दी गई।

15. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार " The Central Government hereby directs that all the standalone re-rolling units or cold rolling units, which are in existence and in operation as on the date of this notification, with valid Consent to Establish (CTE) and Consent to Operate (CTO) from the concerned State Pollution Control Board or the Union territory Pollution Control Committee, as the case may be, shall apply online for grant of Terms of Reference (ToR) followed by Environment Clearance and the said units shall be granted Standard Terms of Reference as per item 3(a) of the said notification and shall be exempted from the requirement of public consultation.

Provided that the application for the grant of ToR shall be made within a period of one year from the date of this notification." का उल्लेख है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (बिना लोक सुनवाई) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन–फेरस) हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गईः–

i. Project proponent shall submit certified compliance report from Chhattisgarh Environment Conservation Board of air and water consent.

ii. Project proponent shall submit the plant layout plan alongwith KML file.

iii. Project proponent shall submit details of air pollution control equipments with stack height calculation and pollution emission level calculation.

iv. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

v. Project proponent shall submit the annual audited balance sheet of last financial year.

vi. Project proponent shall submit NOC from CGWA for withdrawal of ground water.

vii. Project Proponent shall submit detailed proposal for maintaining zero liquid discharge condition.

viii. Project proponent shall submit the revised land area statement with green belt of atleast 40% of the total area.

ix. Project proponent shall submit the details of solid waste generation from the unit.

x. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xii. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.

xiii. Project proponent shall submit details of Traffic impact study report.

xiv. Project proponent shall submit details of DG set alongwith stack height calculation.

xv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xvi. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xvii. Project Proponent shall submit proposal in detail for preparing and maintaining green belt of 40% of the total plot area, in case there is restriction of land availability within plant premises for 40% green belt development, then the unit shall carry 33% green belt development within the plant premises and balance plantation within a radius of 05 km from its premises to achieve the required plantation target of 40%.

xviii. Project proponent shall submit the details of plantation undertaken during the current year & shall submit the details of proposed plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xix. Project proponent shall submit CER proposal of atleast 1.5 times the slab given in the OM dated 01.05.2018 for SPA and 2 times for CPA.

xx. Project proponent shall submit CER proposals of plantation with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 27/09/2023 को संपन्न 154वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (बिना लोक सुनवाई) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (बिना लोक सुनवाई) जारी किया जाए।

7. मेसर्स धवईपुर सेण्ड माईन (सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत धवईपुर), ग्राम–धवईपुर, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2421)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 429131/2023, दिनांक 13/05/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–धवईपुर, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा स्थित खसरा क्रमांक 570, कुल क्षेत्रफल–4.5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन अहिरन नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित रेत उत्खनन क्षमता–27,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 473वीं बैठक दिनांक 28/06/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्रीमती शारदा देवी कोराम, सरपंच एवं श्री चंदन सिंह कंवर, सचिव, ग्राम पंचायत धवईपुर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत धवईपुर का दिनांक 23/01/2023 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

4. **उत्खनन योजना** – माईन प्लान विथ सेण्ड रिप्लेनिशमेंट एण्ड इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 823/खनिज/उ.या.अ./2023–24 कोरबा, दिनांक 25/04/2023 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 824/खनि–/2023 कोरबा, दिनांक 25/04/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 824/खनि–/2023 कोरबा, दिनांक 25/04/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, मरघट एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत धवईपुर के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 770/खलि–2/2023, कोरबा दिनांक 17/04/2023 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 1 वर्ष हेतु वैध है। जारी एल.ओ.आई. में "गौण खनिज साधारण रेत हेतु उत्खनन पट्टा विलेख के पंजीयन दिनांक से 5 वर्ष की अवधि के लिए उत्खनन पट्टा स्वीकृति के लिए निम्नलिखित शर्तों के पूर्ति हेतु यह आशय–पत्र (LOI) जारी किया जा रहा है" का उल्लेख है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, कटघोरा वनमंडल कटघोरा, जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./2023/1586 कटघोरा, दिनांक 16/03/2023 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 10 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–धवईपुर 320 मीटर, स्कूल ग्राम–ढेलवाडीह 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–ढेलवाडीह 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2.4 कि.मी. दूर है। रोड ब्रिज 1.1 कि.मी. एवं तालाब 630 मीटर दूर स्थित है।

11. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 156 मीटर, न्यूनतम 100 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 897 मीटर, न्यूनतम 895.6 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 50.24 मीटर, न्यूनतम 50.18 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 36 मीटर, न्यूनतम 19 मीटर है।

12. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई–1.5 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई–1 मीटर दर्शाई गई है।

अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा–27,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 5 गढ्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 3.12 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल में 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 15/06/2023 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
35.92	2%	0.7184	Following activities at, Village- Dhawaipur	
			Plantation	0.7184
			Total	**0.7184**

15. सी.ई.आर. के अंतर्गत वृक्षारोपण (पीपल, जामुन, नीम, बरगद, आंवला आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 50 नग पौधों के लिए राशि 5,000 रूपये, ट्री–गार्ड एवं फेंसिंग के लिए राशि 24,340 रूपये, खाद के लिए राशि 7,500 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 35,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 71,840 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 30,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत धवईपुर के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 507, क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

16. **वृक्षारोपण कार्य** – नदी तट में 600 नग, स्कूल में 200 नग एवं पहुंच मार्ग में 200 नग, इस प्रकार कुल 1,000 नग किया जाना है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा नदी तट, स्कूल एवं पहुंच मार्ग में 1,000 नग वृक्षारोपण किये जाने हेतु संयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि उपरोक्त वृक्षारोपण को प्रथम वर्ष में ही पूर्ण किये जाने तथा आगामी 4 वर्षों में वृक्षारोपण (90 प्रतिशत की जीवन दर से) हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही नदी तट, स्कूल एवं पहुंच मार्ग की खसरा संबंधी जानकारी एवं सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

नदी के पाट में वृक्षारोपण किये जाने की दशा में बाढ़ की सीमा (Flood level) को ध्यान में रखते हुये नदी के किनारे वृक्षारोपण (River Bank) किया जाना आवश्यक है।

17. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

18. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के है। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से कराई जावें। नदी में भारी वाहन, मशीनों, यंत्रों आदि का प्रवेश प्रतिबंधित रखा जाना आवश्यक है।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। अहिरन नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार कुल लीज क्षेत्रफल 45,000 वर्गमीटर में से 60 प्रतिशत क्षेत्रफल 27,000 वर्गमीटर में 1 मीटर की गहराई तक रेत का उत्खनन प्रस्तावित किया गया है, जिसके अनुसार 27,000 घनमीटर प्रतिवर्ष प्रस्तावित किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. आवेदित खदान (ग्राम–धवईपुर) का रकबा 4.5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

3. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।

   ii. पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   iii. इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 6 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

4. नदी के पाट में वृक्षारोपण बाढ़ की सीमा (Flood level) को ध्यान में रखते हुये 600 नग, स्कूल में 200 नग एवं पहुंच मार्ग में 200 नग, इस प्रकार कुल 1,000 नग वृक्षारोपण को प्रथम वर्ष में ही पूर्ण किये जाने तथा आगामी 4 वर्षों में वृक्षारोपण (90 प्रतिशत की जीवन दर से) हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव एवं नदी तट, स्कूल तथा पहुंच मार्ग की खसरा संबंधी जानकारी सहित सहमति पत्र को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स धवईपुर सेण्ड माईन (सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत धवईपुर), खसरा क्रमांक 570, ग्राम–धवईपुर, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा, कुल लीज क्षेत्रफल 4.5 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 27,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

6. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।

7. ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत् 60 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 27/09/2023 को संपन्न 154वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये मेसर्स धवईपुर सेण्ड माईन (सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत धवईपुर) को पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

2. नदी के पाट में वृक्षारोपण बाढ़ की सीमा (Flood level) को ध्यान में रखते हुये 600 नग, स्कूल में 200 नग एवं पहुंच मार्ग में 200 नग, इस प्रकार कुल 1,000 नग वृक्षारोपण को प्रथम वर्ष में ही पूर्ण किये जाने तथा आगामी 4 वर्षों में

वृक्षारोपण (90 प्रतिशत की जीवन दर से) हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव एवं नदी तट, स्कूल तथा पहुंच मार्ग की खसरा संबंधी जानकारी सहित सहमति पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स जे.के. लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड (सेमरिया लाईम स्टोन माईन), ग्राम–सेमरिया, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1491)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /59127/2020, दिनांक 15/12/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 29/12/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 22/01/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (मुख्य खनिज) खदान है। खदान ग्राम–सेमरिया, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 147, कुल क्षेत्रफल–3.096 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–25,000 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 357वीं बैठक दिनांक 11/02/2021:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. प्रस्तुत 500 मीटर के प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हों) शामिल किया जाना चाहिए। अतः उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
3. भू–स्वामित्व संबंधी जानकारी/दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत की जाए।

4. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाए।
5. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
6. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
7. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/03/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 363वीं बैठक दिनांक 24/03/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 24/03/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र एवं ई–मेल क्रमशः दिनांक 09/04/2021 एवं 27/04/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 368वीं बैठक दिनांक 05/05/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 10/06/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज एवं अनुरोध पत्र दिनांक 13/10/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

नवीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ के आदेशानुसार, परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 393वीं बैठक दिनांक 11/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संजय अरोरा, सीनियर जरनल मेनेजर एवं डॉ. सतीष मिश्रा, जरनल मेनेजर तथा पर्यावरण सलाहकार मेसर्स एनाकॉन लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से श्रीकांत बी. व्यावेयर, वरिष्ठ पर्यावरण वैज्ञानिक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–**

   i. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत नहीं की गई है। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत नहीं की गई है।

   ii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/2694/खनि.लि.2/खनिज/2020 दुर्ग, दिनांक 02/09/2020 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार हैः–

वर्ष	उत्पादन (टन)
जनवरी 2014 से दिसम्बर 2015	निरंक
2016	3,128.4
2017	1,822.74
2018	499.56
जनवरी 2019 से जून 2020	निरंक

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत सेमरिया(गि.) का दिनांक 26/05/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – मॉडिफिकेशन इन एप्रुव्हड माईनिंग प्लान एलांग विथ प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/दुर्ग/चूप/खयो–1073/2017–रायपुर, दिनांक 24/03/2017 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/4203/खनि.लि./खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 22/03/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें, क्षेत्रफल 519.8 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/4203/खनि.लि./खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 22/03/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, राजमार्ग, राष्ट्रीय राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। पूर्व में लीज श्री अशोक बाफना के नाम पर थी। लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 18/09/2001 से 17/09/2021 तक थी। लीज का हस्तांतरण दिनांक 20/06/2013 को मेसर्स जे.के. लक्ष्मी सीमेंट के नाम पर किया गया। लीज डीड की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमण्डल, जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./2021/3999 दुर्ग, दिनांक 01/10/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा वन क्षेत्र से 3.14 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–सेमरिया 0.9 कि.मी., स्कूल ग्राम–सेमरिया 1 कि.मी. एवं अस्पताल धमधा 15 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 20.7 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3.7 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 2 कि.मी. एवं तांदुला नाला 3 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 3,15,800 टन एवं माईनेबल रिजर्व 1,47,100 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,175 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट फुल्ली मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 8 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 59 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नही है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। आगामी वर्षों की वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण प्रस्तुत एप्रुव्हड माईनिंग प्लान नहीं है। अतः उक्त का समावेश कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होती है। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति शिवनाथ नदी एवं पेयजल की आपूर्ति बोरवेल से की जाती है। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त किया जाना बताया गया है। जिसकी प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,500 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र के कुछ भाग उत्खनित होना बताया गया है।

15. प्रस्तुत गूगल मैप में बरसाती नाला खदान से लगा होना प्रतिपादित हुआ। जबकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रस्तुत गूगल मैप में त्रुटि है तथा लीज क्षेत्र की सीमा से नाले की न्यूनतम दूरी 50 मीटर है। उक्त स्थितियों को स्पष्ट करने हेतु समिति द्वारा उपसमिति का गठन कर निरीक्षण किया जाकर निरीक्षण कर पुष्टि किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. लीज डीड की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की जाए।
3. भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी एवं जल संसाधन विभाग से अनुमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. उपरोक्तानुसार संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
5. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों का उल्लंघन होना पाया गया है। उपरोक्त उल्लंघन एवं लीज क्षेत्र की सीमा से नाले की न्यूनतम दूरी के संबंध में समिति द्वारा सर्वसम्मति से निरीक्षण हेतु श्री किशन सिंह ध्रुव एवं श्री एन.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति को सम्मिलित करते हुये दो सदस्यीय उपसमिति गठित की गई। उपसमिति स्थल का निरीक्षण करेगी तथा अद्यतन स्थिति से अवगत करायेगी। अतः उपसमिति से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।
6. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/02/2022 द्वारा परियोजना प्रस्तावक को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है, जिसके परिपेक्ष्य में जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/02/2022 द्वारा श्री किशन सिंह ध्रुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति एवं श्री एन.के. चंद्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति को स्थल निरीक्षण किये जाने हेतु सूचित किया गया। तदानुसार उपसमिति द्वारा दिनांक 21/02/2022 को स्थल निरीक्षण कर दिनांक 16/03/2022 को निरीक्षण प्रतिवेदन प्रेषित किया गया। प्रेषित निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

"During the inspection Shri Deepak Tiwari. Mining Inspector Durg, Shri Shiv Patel Chemist, Regional Office, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Bhilai-Durg were also present, representiatives from M/s J.K. Lakshmi Cement Limited, Dr. Satish Mishra, General Manager, BL Bhati, Mine Manager, Shri Kumar Sachidanand and Mr. Dinesh Kumar were also present.

The document presented by the company were studied and found that lease grant in the area is for the duration of 30 years i.e. from 18/09/2001 to 17/09/2031.

- Leased area is marked with pillars and co-ordinates indicated over them (Phorograph enclosed 1 to 12).

- The quantity of limestone quanied 41.05 metric tonne and royalty was paid for the same (Certificate enclosed Page 56).
- Mining is not carried out at present due to lack of environment clearanace.
- All around plantation of lease area was observed and confirmed from the offrcers present (Photogaphs enclosed).
- Distance of one seasonal Water streams from lease area is 50m and more which was verified from the report of Mining Inspector, (Report enclosed page no.3).
- Report of Mining Inspector indicated that no excessive mining was performed above permissible limit (enclosed page no. 3).
- Consent to operate (CTO) with conditions from Regional Office, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Bhilai-Durg was issued to the company which is being followed by the company (Report enclosed page 76).
- As per the condition of CTO Air Quality Monitoring Report of proposed area which has been leased out is to be submitted in every six months.
- Required instruments for measuring air quality index under the process of installation. Controlled blasting, wet drilling shall beadopted for excavation.
- 7.5m wide area all around the lease area has left for plantation and about 1500 nos. of trees have been planted and process of further plantation was going on during the inspection and no excavation in 7.5m statutory boundary all along the lease area (Report enclosed page no. 67 and photographs).
- NOC from Central Ground Water Authority, CG Water Resources Department has been obtained (Certificate enclosed for ready reference page no. 71 and 67).
- CTO compliance and Air Monitoring Report has been also enclosed (Page no. 68 and 73).
- As per the reports of Mining Department and CG Conservation Board, no objectionable clause was found during prima facei inspection (Report Enclosed).

All the above mentioned discussion has been verified by the committee. The report is submitted for further action."

(इ) समिति की 417वीं बैठक दिनांक 25/07/2022:

समिति द्वारा नस्ती, निरीक्षण प्रतिवेदन का अवलोकन एवं परीक्षण कर, **तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि उपसमिति द्वारा विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/09/2022 के परिपेक्ष्य में उपसमिति द्वारा दिनांक 29/05/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ई) समिति की 473वीं बैठक दिनांक 28/06/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/02/2022 एवं 14/09/2022 द्वारा परियोजना प्रस्तावक को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है, जिसके परिपेक्ष्य में दिनांक 07/11/2022 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसारः–

1. आवेदित खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. लीज डीड की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 18/09/2021 से 17/09/2031 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई।
3. खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति शिवनाथ नदी से किये जाने बाबत् जल संसाधन विभाग का अनुमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भू–जल का उपयोग नहीं किया जाएगा।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा संशोधित माईनिंग प्लान की प्रति प्रस्तुत किये जाने के संबंध में https://uploadnow.io/f/nZOR1Nk द्वारा देखे जाने का उल्लेख है। समिति का मत है कि संशोधित माईनिंग प्लान की प्रति ई.आई.ए., रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
5. उपसमिति द्वारा प्रस्तुत जानकारी/दस्तावेज में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार हैः–

   "The above inspection report submitted to this office on 16/03/2022, the report includes all the aspects of providing TOR to the project proponent. The sub-committee has thoroughly undergone through all the documents, records and also visited the site under consideration. Therefore it is recommended to issue TOR to the project proponent, mentioning the additional condition to fulfill thereafter if found necessary in any later stage."

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/4203/खनि. लि./खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 22/03/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें, क्षेत्रफल 519.8 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–सेमरिया) का रकबा 3.096 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–सेमरिया) को मिलाकर कुल रकबा 522.896 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गईः–

i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

iv. Project proponent shall submit the copy of Approved Mining Plan & incorporate in the EIA report.

v. Project proponent shall submit the annual audited balance sheet of last financial year.

vi. Project proponent shall submit the top soil & over burden management plan & incorporate the details in the EIA report.

vii. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil & over burden would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

viii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

ix. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

x. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

xiii. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.

xiv. Project proponent shall submit the 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xv. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible tree species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xvi. Project proponent shall submit CER proposals preferably for creation of ECO park with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 27/09/2023 को संपन्न 154वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं हुई थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के उत्खनन किया गया है। प्राधिकरण का मत है कि बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के उत्खनन किया जाना ई. आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों का उल्लंघन है। अतः उल्लंघन का प्रकरण होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/01/2022 के अनुसार "The interim order passed by the Madras High Court appears to be misconceived. However, this Court is not hearing an appeal from that interim order. The interim stay passed by the Madras High Court can have no application to operation of the Standard Operating Procedure to projects in territories beyond the territorial jurisdiction of Madras High Court. Morever, final decision may have been taken in accordance with the Orders / Rules prevailing prior to 7th July, 2021" का उल्लेख है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 07/07/2022 के अनुसार उल्लंघन के प्रकरणों हेतु स्टैण्डर्ड ऑफ प्रोसिजर (SOP) जारी की गई है, जिसके अनुसारः–

i. Such cases of violation shall be subject to appropriate
   a) Damage Assessment
   b) Remedial Plan and
   c) Community Augrnentation Plan by the Central level Sectoral Expert Appraisal Committees or State/UnionTerritory level Expert Appraisal Committees, as the case may be.

ii. The Competent Authority shall issue directions to the project proponent, under section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 on case to case basis mandating payment of such amount (as may be determined based on Polluters Pay principle) and undertaking activities relating to Remedial Plan and Community Augmentation Plan (to restore environmental damage caused including its social aspects).

iii. The project proponent will be required to submit a bank guarentee equivalent to the amount of Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan with Central / the State Pollution Control Board (depending on whether it is appraised at Ministry or by SEIAA). The quantification of such liability will be recommended by Expert Appraisal Committee and finalized by Regulatory Authority. The bank guarantee shall be deposited prior to the grant of environmental clearance and will be released after successful implementation of the Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan.

iv. Penalty provisions for violation cases and applications: Where operation have commenced without EC: 1% of the total project cost incurred up to the date of filing of application along with EIA/EMP report PLUS 0.25% of the total turnover during the period of violation.

उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के दौरान जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) निम्न अतिरिक्त शर्त के अधीन जारी करने का निर्णय लिया गया:–

i. Assessment of ecological damage with respect to air, water, land and other environmental attributes. The collection and analysis of data shall be done by an environmental laboratory duly notified under the environment (Protection) Act 1986, or an environmental laboratory accredited by NABL, or laboratory of a Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) institution working in the field of environment.

ii. Preparation of EMP comprising remediation plan and natural and community resource augmentation plan corresponding to ecological damage assessed and economic benefits derived due to violation.

iii. The remediation plan and the natural and community resource augmentation plan to be prepared as an independent chapter in the EIA report.

iv. The Project Proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirement and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. The undertaking inter-alia include commitment of the PP that not to repeat any such violation in future.

v. In case of violation of above undertaking, this ToR shall be liable to be terminated forthwith.

vi. Project Proponent complies with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors.

vii. State Government concerned shall ensure that mining operation shall not commence till the entire compensation levied, if any, for illegal mining paid by the Project Proponent through their respective Department of Mining & Geology in strict compliance of judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors.

viii. Project proponent shall submit the annual audited balance sheet of financial year 2015-16 to 2019-20.

ix. Project proponent shall submit the copy of Approved Mining Plan at the time of submission of draft EIA to CECB for Public Hearing.

प्राधिकरण द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को निर्देशित किया जाए। साथ ही स्थापना सम्मति / संचालन सम्मति जारी नहीं किये जाने हेतु भी लिखा जाए।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को पत्र लेख किया जाए।

9. मेसर्स श्री लक्ष्मीनारायण रियल इस्पात प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–बोरझरा, पोस्ट–तेन्दुआ, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2236)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/ 411374/2022, दिनांक 20/12/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–बोरझरा, पोस्ट–तेन्दुआ, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 191, 192/1, 192/2, कुल क्षेत्रफल–1,88,623 वर्गफीट (1.753 हेक्टेयर), क्षमता विस्तार के तहत् री–रोल्ड प्रोडक्ट्स (एम.एस. बार्स एण्ड रॉड्स, एंगल, प्लेट्स/स्क्वेयर, चैनल्स सेक्शन) क्षमता–30,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 58,800 टन प्रतिवर्ष करने के लिए टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। क्षमता विस्तार के पश्चात् परियोजना का विनियोग रुपए 18.2 करोड़ होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 449वीं बैठक दिनांक 25/01/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दयालाल पटेल, डॉयरेक्टर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से श्री सुभाष कुमार उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **जल एवं वायु सम्मति –**

   - क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स (एम.एस.बार एण्ड रॉड्स, एंगल, प्लेट/स्क्वायर, चैनल्स, सेक्शन आदि) क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 28/03/2019 को जारी की गई है। जो कि दिनांक 30/01/2024 तक वैध है।

   - वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालनार्थ की कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

2. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

   - निकटतम आबादी ग्राम–अछोली 2.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। चंद्रा हाई स्कूल 2.2 कि.मी. एवं रेलवे स्टेशन उरकुरा 6.64 कि.मी. एवं लालमाटी मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल 4.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 19.50 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। खारुन नदी 2.6 कि.मी. दूर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5.4 कि.मी. दूर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. **भू–स्वामित्व** – भू–स्वामित्व/भूमि आबंटन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है, जिसके अनुसार भूमि मेसर्स श्री लक्ष्मीनारायण रियल इस्पात प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर है।

4. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट** – प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत –

S.No.	Land use	Area (in SQFT)
1.	Rooftop/ Builtup Area	64,249
2.	Area Under the Road and Paved Area	25,000
3.	Green Belt Area (33.88%)	63,920
4.	Open Area	35,454
Total		**1,88,623**

समिति का मत है कि ग्रीन बेल्ट का क्षेत्रफल कम से कम 50 प्रतिशत किया जाकर तद्नुसार लेण्ड एरिया स्टेटमेंट संशोधित कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

5. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** –

Name of Waste	Existing Capacity (TPA)	Proposed Capacity (TPA)	After Proposed Expansion (TPA)
End Cutting (M S Scrap) and Miss Roll	900	864	1,764
Mill Scale	150	144	294
Total	**1,050**	**1,008**	**2,058**

- वर्तमान में उत्पन्न मिल स्केल को फेरो एलॉय प्लांट को विक्रय किया जाएगा। मिस रोल एवं मिस कास्ट को इण्डक्शन फर्नेस में पुनः उपयोग किया जाएगा। यूज्ड ऑयल/वेस्ट ऑयल को अधिकृत रिसाईकलर का उपलब्ध कराया जाएगा। स्लेग को मेटल रिकवरी यूनिट को उपलब्ध कराया जाएगा। इण्डक्शन फर्नेस की रिलाईनिंग से उत्पन्न रिफ्रैक्टरी वेस्ट को रिफ्रैक्टरी इकाइयों को रिसाईकलिंग के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। प्लांट से निकलने वाले ई–कचरा, लीड एसिड बैटरी को अधिकृत रिसाईकलर का उपलब्ध कराया जाएगा।

6. **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

7. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – परियोजना हेतु वर्तमान में 1.3 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होती है। क्षमता विस्तार उपरांत परियोजना हेतु कुल 4.8 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से किया जाएगा।

8. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – वर्तमान में हरित पट्टिका के विकास हेतु क्षेत्रफल 63,920 वर्गफीट (33.88 प्रतिशत) क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है। समिति का मत

है कि उद्योग परिसर के चारों तरफ कम से कम 20 मीटर की चौड़ी पट्टी में वृक्षारोपण आगामी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में ही पूर्ण किया जाए तथा वृक्षारोपण को ले–आउट प्लान के.एम.एल. फाईल सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही वृक्षारोपण का विस्तृत विवरण/जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि ग्रीन बेल्ट का क्षेत्रफल कम से कम 50 प्रतिशत करते हुये ले–आउट प्लान (केएमएल) सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. समिति द्वारा प्रस्तुतीकरण एवं प्रस्तुत प्री–फिजीबिलिटी रिपोर्ट में निम्नानुसार तथ्य पाया गया :–

   i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में री–रोल्ड प्रोडक्ट्स क्षमता–30,000 टन प्रतिवर्ष से 58,800 टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है, जबकि प्रस्तुत प्री–फिजीबिलिटी रिपोर्ट एवं प्रस्तुतीकरण में इण्डक्शन फर्नेस 7 मीट्रिक टन गुणा 2 नग स्थापित होना बताया गया है।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत प्री–फिजीबिलिटी रिपोर्ट के पृष्ठ क्रमांक 6 में कोल गैसीफायर आधारित रि–हीटिंग फर्नेस 30,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष से 58,800 टन प्रतिवर्ष किया जाना उल्लेखित है, जबकि प्री–फिजीबिलिटी रिपोर्ट के पृष्ठ क्रमांक 11 में वर्तमान में इण्डक्शन फर्नेस 7 मीट्रिक टन गुणा 2 नग स्थापित होना एवं 9 मीट्रिक टन गुणा 2 नग प्रस्तावित किया जाना तथा रि–हीटिंग फर्नेस को बदलकर हॉट चार्जिंग आधारित रोलिंग मिल किया जाना प्रस्तावित है।

   iii. क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स (एम.एस.बार एण्ड रॉड्स, एंगल, प्लेट/स्क्वायर, चैनल्स, सेक्शन आदि) क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 28/03/2019 को जारी की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा इण्डक्शन फर्नेस 7 मीट्रिक टन गुणा 2 नग भी स्थापित होना बताया गया है। अतः इण्डक्शन फर्नेस हेतु वैध जल एवं वायु सम्मति की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   iv. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रॉ–मटेरियल के रूप में एम.एस. इंगाट/बिलेट्स एवं कोल की जानकारी दी गई है। स्थापित इण्डक्शन फर्नेस में कच्चे माल हेतु कोई जानकारी नहीं दी गई है।

   उपरोक्त के संबंध में समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक से स्पष्टीकरण मंगाया जाना आवश्यक है।

10. वर्तमान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्थापित व्यवस्था की जानकारी तथा प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित व्यवस्था की जानकारी मंगाया जाना आवश्यक है।

11. वर्तमान में स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत प्रदूषण भार की गणना की जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

12. वर्तमान में स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत जल प्रबंधन व्यवस्था (जल की मात्रा, स्त्रोत, उत्पन्न दूषित जल की मात्रा) की जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. ऑनलाईन आवेदन में री–रोल्ड प्रोडक्ट्स क्षमता–30,000 टन प्रतिवर्ष से 58,800 टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है, जबकि प्रस्तुत प्री–फिजीबिलिटी रिपोर्ट एवं प्रस्तुतीकरण में इण्डक्शन फर्नेस 7 मीट्रिक टन गुणा 2 नग स्थापित होना बताया गया है। इस संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।
2. ग्रीन बेल्ट का क्षेत्रफल कम से कम 50 प्रतिशत किया जाकर तद्नुसार लेण्ड एरिया स्टेटमेंट संशोधित कर प्रस्तुत किया जाए। साथ ही ग्रीन बेल्ट का क्षेत्रफल कम से कम 50 प्रतिशत करते हुये ले–आउट प्लान (केएमएल) सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. प्रस्तुत प्री–फिजीबिलिटी रिपोर्ट के पृष्ठ क्रमांक 6 में कोल गैसीफायर आधारित रि–हीटिंग फर्नेस 30,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष से 58,800 टन प्रतिवर्ष किया जाना उल्लेखित है, जबकि प्री–फिजीबिलिटी रिपोर्ट के पृष्ठ क्रमांक 11 में वर्तमान में इण्डक्शन फर्नेस 7 मीट्रिक टन गुणा 2 नग स्थापित होना एवं 9 मीट्रिक टन गुणा 2 नग प्रस्तावित किया जाना तथा रि–हीटिंग फर्नेस को बदलकर हॉट चार्जिंग आधारित रोलिंग मिल किया जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।
4. क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स (एम.एस.बार एण्ड रॉड्स, एंगल, प्लेट/स्क्वायर, चैनल्स, सेक्शन आदि) क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 28/03/2019 को जारी की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा इण्डक्शन फर्नेस 7 मीट्रिक टन गुणा 2 नग भी स्थापित होना बताया गया है। अतः इण्डक्शन फर्नेस हेतु वैध जल एवं वायु सम्मति की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
5. स्थापित इण्डक्शन फर्नेस में कच्चे माल हेतु जानकारी मात्रा सहित प्रस्तुत किया जाए।
6. वर्तमान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्थापित व्यवस्था की जानकारी तथा प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
7. वर्तमान में स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत प्रदूषण भार की गणना की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
8. वर्तमान में स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत जल प्रबंधन व्यवस्था (जल की मात्रा, स्त्रोत, उत्पन्न दूषित जल की मात्रा) की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/03/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 07/06/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 473वीं बैठक दिनांक 28/06/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. री–रोल्ड प्रोडक्ट्स (एम.एस. बार्स एण्ड रॉड्स, एंगल, प्लेट्स/स्क्वेयर, चैनल्स सेक्शन) क्षमता–30,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 58,800 टन प्रतिवर्ष हेतु

ऑनलाईन आवेदन किया गया है। इण्डक्शन फर्नेस 7 मीट्रिक टन गुणा 2 नग स्थापित नहीं किया जाएगा।

2. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

S.No.	Land use	Area (in SQFT)	Area (%)
1.	Builtup Area	64,248	34.06
2.	Road Area	19,198	10.18
3.	Green Belt Area	91,180	48.34
4.	Open Area	13,997	7.42
Total		**1,88,623**	**100**

3. कोल बेस्ड गैसीफायर रि–हीटिंग फर्नेस के तहत् ही री–रोल्ड प्रोडक्ट्स (एम.एस. बार्स एण्ड रॉड्स, एंगल, प्लेट्स/स्क्वेयर, चैनल्स सेक्शन) क्षमता–30,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 58,800 टन प्रतिवर्ष का उत्पादन किया जाएगा।

4. प्रस्तावित औद्योगिक इकाई में इण्डक्शन फर्नेस स्थापित नहीं है। पूर्व में क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स (एम.एस.बार एण्ड रॉड्स, एंगल, प्लेट/स्क्वायर, चैनल्स, सेक्शन आदि) क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 28/03/2019 को जारी की गई है।

5. प्रस्तावित औद्योगिक इकाई में इण्डक्शन फर्नेस स्थापित नहीं है।

6. वर्तमान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु उच्च दक्षता का वेट स्क्रबर लगाया गया है तथा प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बेग फिल्टर लगाया जाना प्रस्तावित है।

7. वर्तमान में पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के अनुसार कुल उत्सर्जन मात्रा 9,702 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित बेग फिल्टर एवं चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से डस्ट उत्सर्जन की मात्रा 8,733 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होगी।

8. परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि परियोजना से जनित दूषित जल को कुलिंग हेतु पुनः उपयोग किया जाता है। समिति का मत है कि वर्तमान में स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत जल प्रबंधन व्यवस्था (जल की मात्रा, स्त्रोत, उत्पन्न दूषित जल की मात्रा) के संबंध में विस्तृत विवरण/जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 24/12/2013 के अनुसार "All other non toxic secondary metallurgical processing industries involving operation of furnaces only, such as induction and electric arc furnaces, submerged arc furnaces, and cupola with capacity > 30,000 TPA but < 60,000 TPA provided that such projects are located within the notified Industrial Estates" के परियोजनाओं को बी–2 श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है।

10. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार "The Central Government hereby directs that all the standalone re-rolling units or cold rolling units, which are in existence and in operation as on the

date of this notification, with valid Consent to Establish (CTE) and Consent to Operate (CTO) from the concerned State Pollution Control Board or the Union territory Pollution Control Committee, as the case may be, shall apply online for grant of Terms of Reference (ToR) followed by Environment Clearance and the said units shall be granted Standard Terms of Reference as per item 3(a) of the said notification and shall be exempted from the requirement of public consultation.

Provided that the application for the grant of ToR shall be made within a period of one year from the date of this notification." का उल्लेख है।

11. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ई–मेल दिनांक 27/04/2023 के माध्यम से निम्न जानकारी प्रस्तुत की गई है:–

"Both OM of 2013 and Notification dated 20.07.2022 is self explanatory in nature."

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 24/12/2013 के अनुसार लोक सुनवाई से छूट एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (बिना लोक सुनवाई) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन–फेरस) हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit certified compliance report from Chhattisgarh Environment Conservation Board of air and water consent.

ii. Project proponent shall submit the plant layout plan alongwith KML file.

iii. Project proponent shall submit details of air pollution control equipments with stack height calclation and pollution emission level calculation.

iv. Project proponent shall submit details of pollution load calculation (existing & after expansion) of Air, Water, Solid waste etc.

v. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

vi. Project proponent shall submit the annual audited balance sheet of last financial year.

vii. Project proponent shall submit NOC from CGWA for withdrawal of ground water.

viii. Project Proponent shall submit the details of coal gasifier along with its capacity use in reheating furnace.

ix. Project proponent shall submit the details of phenolic water generation and its disposal facility / mechanism.

x. Project proponent shall submit the details of waste water generation and its disposal facility / mechanism. Project Proponent shall also

submit detailed proposal for maintaining zero liquid discharge condition.

xi. Project proponent shall submit the details of solid waste generation from the unit.

xii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xiii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xiv. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.

xv. Project proponent shall submit details of Traffic impact study report.

xvi. Project proponent shall submit details of DG set alongwith stack height calculation.

xvii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xviii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xix. Project Proponent shall submit proposal in detail for preparing and maintaining green belt of 50% of the total plot area, in case there is restriction of land availability within plant premises for 50% green belt development, then the unit shall carry 48.34% green belt development within the plant premises and balance plantation within a radius of 05 km from its premises to achieve the required plantation target of 50%.

xx. Project proponent shall submit the details of plantation undertaken during the current year & shall submit the details of proposed plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xxi. Project proponent shall submit CER proposal of atleast 1.5 times the slab given in the OM dated 01.05.2018 for SPA and 2 times for CPA.

xxii. Project proponent shall submit CER proposals of plantation with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 27/09/2023 को संपन्न 154वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि:–

- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा "Compliance of Hon'ble NGT order dated 19.08.2019 (published on 23.08.2019) in O.A. No. 1038 2018 - reg" के संबंध में दिनांक 31/10/2019

को ऑफिस मेमोरेण्डम जारी किया गया है, जिसके पैरा "3. The mechanism has now been finalized by the Ministry (copy enclosed)."का उल्लेख है।

उक्त mechanism के बिंदु B (i) अनुसार **Any project or activity specified in Category B1 will be appraised at the Central Level, if located in whole or in part within 5 km from the boundary of Critically Polluted Areas or Severely Polluted Areas. However, Category B2 projects shall be considered at state level stipulating Environmental Clearance conditions as applicable for the Category 'B1' project/activities.** का उल्लेख है।

- The Ministry had issued Office Memorandum (OM) of even number dated 31st October 2019, and 30th December 2019 in compliance to the order of Hon'ble NGT in OA No. 1038/2018 dated 19th August, 2019 (published on 23rd August, 2019) pertaining to consideration of proposals for grant of Environment Clearance located in Critically Polluted Areas (CPAs) and Severely Polluted Areas (SPAs). Subsequently, vide OM dated 28th January 2021, the above mentioned OMs were kept under abeyance, in view of the Hon'ble Supreme Court order dated 22nd September, 2020 in the matter of Gujarat Chambers of Commerce and Industry vs Central Pollution Control Board & Anr.[Civil Appeal No. 3319-3321/2020], wherein a stay was imposed on the operation of the impugned order of the Hon'ble NGT mentioned above.

- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 05/07/2022 को ऑफिस मेमोरेण्डम जारी किया गया है, जिसके पैरा 3 अनुसार "Hon'ble Supreme Court order dated 25th February 2022 the matter has been examined in the Ministry and it has been decided to lift the abeyance imposed vide O.M. dated 28th January, 2021 on the Ministry's OMs dated 31st October 2019, and 30th December 2019." है।

उपरोक्त जारी निर्देश /ऑफिस मेमोरेंडम प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए।

10. मेसर्स कोसंगा ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी (प्रो.– श्रीमती रीमा जायसवाल), ग्राम–कोसंगा, तहसील–लखनपुर, जिला–सरगुजा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2301)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 416074/ 2023, दिनांक 06/02/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान (बिना चिमनी भट्ठा के) है। खदान ग्राम–कोसंगा, तहसील–लखनपुर, जिला–सरगुजा स्थित खसरा क्रमांक 449/2, 446/2, 452/1 एवं 452/3, कुल क्षेत्रफल–1.478 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 24/03/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 457वीं बैठक दिनांक 29/03/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री पंकज कुमार जायसवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कोसंगा का दिनांक 23/01/2023 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–रायगढ़ के पृ. ज्ञापन क्रमांक 1821/ए/ख.लि./स्था./2022 रायगढ़, दिनांक 27/12/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 28/खनिज/खलि.1/2023 अंबिकापुर, दिनांक 11/01/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 29/खनिज/खलि.1/2023 अंबिकापुर, दिनांक 11/01/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, रेल लाईन, नहर, बांध, एनीकट, भवन, स्कूल, अस्पताल, वाटर सप्लाई परियोजना, मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, मरघट, दार्शनिक स्थल इत्यादि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 449/2 एवं 446/2 आवेदक तथा खसरा क्रमांक 452/1 एवं 452/3 श्रीमती गायत्री अग्रवाल के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
7. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. श्रीमती रीमा जायसवाल के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर सरगुजा (खनिज शाखा), अंबिकापुर के ज्ञापन क्रमांक 385/खनिज/ख.लि.1/न.क्र.31/2021 अंबिकापुर, दिनांक 16/03/2022 द्वारा जारी की गई, जो एक वर्ष तक की अवधि हेतु वैध थी। एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमंडल, अंबिकापुर के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./2466 अंबिकापुर, दिनांक 26/10/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 5 कि.मी. की दूरी पर है।
10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–कोसंगा 410 मीटर, स्कूल ग्राम–कोसंगा 780 मीटर एवं अस्पताल लखनपुर 3.5 कि.मी. की दूरी पर

स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 22 कि.मी. दूर है। चाँदनी नदी 135 मीटर, मौसमी नाला 60 मीटर, तालाब 800 मीटर एवं नहर 4.65 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 29,560 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 27,710 घनमीटर एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 26,324 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 620 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। खदान की संभावित आयु 26 वर्ष है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	1,053
द्वितीय	1,053
तृतीय	1,053
चतुर्थ	1,053
पंचम	1,053

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 310 नग वृक्षारोपण किया गया है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 3,100 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 80,000 रूपये, खाद के लिए राशि 15,500 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 50,000 रूपये, रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,00,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 2,48,600 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख–रखाव हेतु कुल राशि 6,62,000 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
18.05	2%	0.361	Following activities at,	

			Government Middle School **Village- Kosanga**	
			Water Tank Installation for drinking water	
			Water tank (1,000 litre)	0.12
			Supply Pipe	
			Pipeline & Installation	
			Running water arrangement in toilet	
			Pipeline, tap, sanitary ware drain line	0.15
			Annual maintenance	
			Donation of Books related to Environment Conservation	
			Books	0.10
			Steel Almira	
			Total	**0.37**

16. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

17. प्रस्तुतीकरण के दौरान लीज क्षेत्र को के.एम.एल. से अवलोकन करने पर लीज क्षेत्र के उत्तर दिशा में लगभग 352 मीटर की दूरी पर चिमनी स्थापित पाया गया है। अतः समिति का मत है कि उक्त दर्शित चिमनी में खदान स्थापित है अथवा नहीं के संबंध में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सरगुजा से जानकारी मंगाया जाना आवश्यक है।

18. परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तावित क्षेत्र में केवल मिट्टी उत्खनन का कार्य किये जाने एवं चिमनी स्थापित नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

19. प्रस्तुतीकरण के दौरान लीज क्षेत्र को के.एम.एल. से अवलोकन करने पर लीज क्षेत्र के निकट 10 मीटर में कच्ची सड़क है। इस संबंध में प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उक्त सड़क, निजी भूमि में स्थित है। जो व्यवस्था के तहत् आवागमन हेतु बनाया गया है एवं राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज नहीं है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत भूमि संबंधी दस्तावेज बी–1 में पटवारी द्वारा अनुमोदित खसरा क्रमांक 446/2 एवं 449/2 को निजी भूमि होने का उल्लेख है।

20. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमाकंन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. प्रस्तावित क्षेत्र में केवल मिट्टी उत्खनन का कार्य किये जाने एवं चिमनी स्थापित नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
3. लीज क्षेत्र को के.एम.एल. से अवलोकन करने पर लीज क्षेत्र के उत्तर दिशा में लगभग 352 मीटर की दूरी पर चिमनी स्थापित पाया गया है। अतः उक्त दर्शित चिमनी में खदान स्थापित अथवा नहीं के संबंध में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सरगुजा को पत्र लेख किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/05/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 14/07/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 473वीं बैठक दिनांक 28/06/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत् न्यायालय संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 3831/खनि 02/उ.प.–अनु.निष्पा./न.क्र. 50/2017(4) नवा रायपुर, दिनांक 05/06/2023 जिसके अनुसार **"छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 में जारी संशोधित अधिसूचना दिनांक 26/06/2020 (प्रकाशन दिनांक 30/06/2020) के नियम 42 के उप–नियम (5) परन्तु के तहत् संचालक को प्रदत्त अधिकार प्रयोग करते हुये, प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने एवं उत्खनिपट्टा स्वीकृति आदेश जारी करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान किया जाता है।"** होना बताया गया है।
2. प्रस्तावित क्षेत्र में केवल मिट्टी उत्खनन का कार्य किये जाने एवं चिमनी स्थापित नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

3. **कार्यालय कलेक्टर** (खनिज शाखा) जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 807/खनिज/खलि.1/2023 अम्बिकापुर, दिनांक 13/07/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 0.967 हेक्टेयर है। साथ ही उक्त पत्र में यह भी उल्लेखित है कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सरगुजा के ज्ञापन दिनांक 11/01/2023 द्वारा जारी किये गये पत्र में त्रुटिवस जगेसर राम आ. श्री मोहर साय की खदान की जानकारी नहीं दी गई थी।

कच्चे ईंटों को उपयोग लायक परिवर्तन करने (गर्म किया जाकर पक्कें ईंटों का निर्माण) हेतु कहां–कहां, किन–किन भट्टों में उपयोग किया जाएगा तथा उन भट्टों को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है अथवा नहीं? के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

5. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) **Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.**

   b) **If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.**

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 807/खनिज/खलि.1/2023 अम्बिकापुर, दिनांक 13/07/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 0.967 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–कोसंगा) का क्षेत्रफल 1.478 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–कोसंगा) को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 2.445 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. कच्चे ईंटों को उपयोग लायक परिवर्तन करने (गर्म किया जाकर पक्कें ईंटों का निर्माण) हेतु कहां–कहां, किन–किन भट्टों में उपयोग किया जाएगा तथा उन भट्टों को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है अथवा नहीं? के संबंध में जानकारी एस. ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स कोसंगा ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी (प्रो.– श्रीमती रीमा जायसवाल) को ग्राम–कोसंगा,

तहसील–लखनपुर, जिला–सरगुजा के खसरा क्रमांक 449/2, 446/2, 452/1 एवं 452/3 में स्थित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान (बिना चिमनी भट्ठा के), कुल क्षेत्रफल–1.478 हेक्टेयर, क्षमता–1,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 27/09/2023 को संपन्न 154वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि** कच्चे ईंटों को उपयोग लायक परिवर्तन करने (गर्म किया जाकर पक्कें ईंटों का निर्माण) हेतु कहां–कहां, किन–किन भट्टों में उपयोग किया जाएगा तथा उन भट्टों को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है अथवा नहीं? के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

11. मेसर्स सैंदा आर्डिनरी स्टोन माईन (प्रो.– श्री राजेश कुमार जैन), ग्राम–सैंदा, तहसील–खडगवां, जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2329)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 420770/ 2023, दिनांक 06/03/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–सैंदा, तहसील–खडगवां, जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर स्थित खसरा क्रमांक–190, कुल क्षेत्रफल–2.1 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–17,902.46 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/04/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 460वीं बैठक दिनांक 27/04/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजेश कुमार जैन, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–**

   i. पूर्व में साधारण पत्थर खदान खसरा क्रमांक 190, कुल क्षेत्रफल–2.1 हेक्टेयर, क्षमता–17,902.46 टन (6,393.73 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–कोरिया द्वारा दिनांक 27/09/2016 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2026 तक वैध है।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसारः–

   "9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be

considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid.".

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 31/03/2027 तक वैध होगी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर में दिनांक 26/04/2023 को आवेदन किया गया है, जो आज दिनांक तक अप्राप्त है। साथ ही पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अंबिकापुर में दिनांक 26/04/2023 को आवेदन किया जाना बताया गया है। उक्त के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत करते हुये सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार 450 नग वृक्षारोपण किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला–एम.सी.बी. के ज्ञापन क्रमांक 171/खनिज/उ.प./2023 एम.सी.बी., दिनांक 06/03/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2016–17	निरंक
2017–18	निरंक

v. कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला–एम.सी.बी. के ज्ञापन क्रमांक 141/खनिज/उ.प./2023 एम.सी.बी., दिनांक 15/02/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2018–19	6,390
2019–20	5,895
2020–21	5,055
2021–22	6,095
2022–23 (जनवरी 2023 तक)	830

समिति का मत है कि दिनांक 01/02/2023 से किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत सैन्दा का दिनांक 22/06/2015 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1973/खनिज/ख.लि.2/2015 कोरिया, बैकुण्ठपुर, दिनांक 22/01/2016 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–एम.सी.बी. के ज्ञापन क्रमांक 142/खनिज/उ.प./2023 एम.सी.बी., दिनांक 15/02/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–एम.सी.बी. के ज्ञापन क्रमांक 142/खनिज /उ.प./2023 एम.सी.बी., दिनांक 15/02/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नही है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। पूर्व में लीज श्री विजय कुमार जैन के नाम पर थी। लीज डीड 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 06/12/2016 से 05/12/2046 तक की अवधि हेतु वैध है। तत्पश्चात् लीज डीड का हस्तांतरण दिनांक 01/02/2023 को श्री राजेश कुमार जैन के नाम पर किया गया है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कोरिया वनमण्डल, बैकुण्ठपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2443 बैकुण्ठपुर, दिनांक 28/07/2015 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–सैन्दा 350 मीटर, स्कूल ग्राम–सैन्दा 1 कि.मी. एवं अस्पताल चिरमिरी 8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 19 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3 कि.मी. दूर है। हसदेव नदी 6.35 कि.मी., तालाब 1.17 कि.मी., मौसमी नाला 50 से 100 मीटर एवं नहर 5.65 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 2,94,000 टन (1,05,000 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 2,05,577 टन (73,420 घनमीटर) एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 1,74,740 टन (62,407 घनमीटर) है। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 2,14,068 टन (76,452 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 1,25,645 टन (44,873 घनमीटर) एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 1,06,798 टन (38,142 घनमीटर) शेष है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,451.28 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकैनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। लीज क्षेत्र में ओव्हर बर्डन की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 16,548.72 घनमीटर है, जिसका उपयोग रैम्प, हॉल–रोड, ब्लास्टिंग हेतु स्टेमिंग सामाग्री के रूप में किया जायेगा। इसके उपरांत (यदि हो तो) शेष ओव्हर बर्डन की मात्रा को लीज क्षेत्र के समीप सहमति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 94/3) पर भण्डारित किया जाएगा एवं उपरोक्त ओव्हरबर्डन को माईन क्षेत्र के पुनःभराव में उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग किया जाता है। ब्लास्टिंग नहीं किया जाता है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
2023–24	17,902.46
2024–25	17,902.46
2025–26	17,902.46
कुल	**53,707.38**

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति भू–जल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 882 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्तमान में 450 नग वृक्षारोपण किया गया है एवं उक्त के अतिरिक्त 432 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 4,320 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 75,000 रूपये, खाद के लिए राशि 44,100 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 50,000 रूपये, रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,00,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष हेतु कुल राशि 2,73,420 रूपये एवं आगामी चार वर्षों हेतु कुल राशि 7,76,400 रूपये का घटकवार व्यय विवरण प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment	Percentage of Capital	Amount for CER	Amount Proposed & Details for CER Activities

(in Lakh Rupees)	Investment to be Spent	Activities (in Lakh Rupees)	(in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
9.03	2%	0.18	Following activities at **Village-Sainda**	
			Plantation with fencing around Pond & 5 year AMC	0.34
			Total	**0.34**

सी.ई.आर. के अंतर्गत ग्राम–सैंदा के तालाब (खसरा क्रमांक 733 एवं 734) के चारों तरफ आम एवं जामुन के विभिन्न प्रजातियों के रोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 20 नग पौधों के लिए राशि 2,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 2,000 रूपये, खाद के लिए राशि 1,000 रूपये, रख–रखाव आदि के लिए राशि 5,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 10,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 24,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि तालाब के चारों तरफ वृक्षारोपण करने हेतु ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव हेतु किये जाने साथ ही निरीक्षणकर्ता / अधिकारी को उनके निरीक्षण / भ्रमण के दौरान निरीक्षण कराए जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

17. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

18. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

19. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमाकंन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. दिनांक 01/02/2023 से किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
3. तालाब के चारो तरफ वृक्षारोपण करने हेतु ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/06/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 08/06/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 473वीं बैठक दिनांक 28/06/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत करने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि उनके द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर एवं क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अम्बिकापुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु दिनांक 26/04/2023 को आवेदन पत्र प्रेषित किया गया है, जो आज दिनांक तक अप्राप्त है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत करते हुये सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है। समिति का मत है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर के ज्ञापन क्रमांक 111/खनिज/उ.प./2023 एम.सी.बी., दिनांक 07/06/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
फरवरी 2023	650
मार्च 2023	40
अप्रैल 2023	510
मई 2023	950

3. तालाब के चारो तरफ वृक्षारोपण करने हेतु ग्राम पंचायत सैंदा का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. सी.ई.आर. कार्य एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

5. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–एम.सी.बी. के ज्ञापन क्रमांक 142/खनिज/उ.प./2023 एम.सी.बी., दिनांक 15/02/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–सैंदा) का रकबा 2.1 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स सैंदा आर्डिनरी स्टोन माईन (प्रो.– श्री राजेश कुमार जैन) को ग्राम–सैंदा, तहसील–खडगवां, जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर के खसरा क्रमांक 190 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–2.1 हेक्टेयर, क्षमता–17,902 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 27/09/2023 को संपन्न 154वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये मेसर्स सैंदा आर्डिनरी स्टोन माईन (प्रो.– श्री राजेश कुमार जैन) को पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–3 **पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु प्राप्त आवेदन के संबंध में निर्णय लिया जाना।**

1. मेसर्स एनकेजे बायोफ्यूल प्राईवेट लिमिटेड, एनएच–30, ग्राम–बुधवारा एवं राम्हेपुर, तहसील–बोडला, जिला–कबीरधाम (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1525)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन/ 59925/2021, दिनांक 20/07/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने एवं प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी2/ 258587/2022, दिनांक 25/02/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जारी संशोधित पर्यावरणीय स्वीकृति में पुनः संशोधन हेतु अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा तहसील–बोडला, जिला–कबीरधाम, ग्राम–राम्हेपुर स्थित भूमि खसरा क्रमांक 1/2, 2, 3/1, 3/2, 4, 5 एवं ग्राम–बुधवारा स्थित भूमि खसरा क्रमांक 62/1 तथा 62/4, कुल क्षेत्रफल – 97,125 वर्गमीटर (24 एकड़) में न्यू मोलासेस क्षमता – 80 किलोलीटर प्रतिदिन {एनहाईड्रस एल्कोहल (इथेनॉल) / रेक्टिफाईड स्प्रिट / एक्स्ट्रा न्युट्रल एल्कोहल उत्पादन हेतु} **के स्थान पर** न्यू मोलासेस /ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरी क्षमता – 80 किलोलीटर प्रतिदिन {एनहाईड्रस एल्कोहल (इथेनॉल) / रेक्टिफाईड स्प्रिट / एक्स्ट्रा न्युट्रल एल्कोहल उत्पादन हेतु} के साथ केप्टिव पावर जनरेशन (द्वारा फ्लूडाईज्ड बेड कम्बशन बॉयलर) टर्बो जनरेटर क्षमता 3.2 मेगावाट करने के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु अनुरोध किया गया है।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1354/एस.ई.आई.ए.ए.,छ.ग./इण्ड. /1525 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 28/09/2021 द्वारा न्यू मोलासेस बेस्ड डिस्टिलरी क्षमता – 80 किलोलीटर प्रतिदिन (एनहाईड्रस एल्कोहल (इथेनॉल) / रेक्टिफाईड स्प्रिट / एक्स्ट्रा न्युट्रल एल्कोहल उत्पादन हेतु) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया।

तत्पश्चात् एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 195/एस.ई.आई.ए.ए.,छ.ग. /इण्ड./1525 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 07/07/2023 द्वारा न्यू मोलासेस /ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरी क्षमता – 80 किलोलीटर प्रतिदिन {एनहाईड्रस एल्कोहल (इथेनॉल) / रेक्टिफाईड स्प्रिट / एक्स्ट्रा न्युट्रल एल्कोहल उत्पादन हेतु} हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन जारी किया गया।

वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 21/07/2023 के माध्यम से न्यू मोलासेस क्षमता – 80 किलोलीटर प्रतिदिन {एनहाईड्रस एल्कोहल (इथेनॉल) / रेक्टिफाईड स्प्रिट / एक्स्ट्रा न्युट्रल एल्कोहल उत्पादन हेतु} **के स्थान पर** न्यू मोलासेस /ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरी क्षमता – 80 किलोलीटर प्रतिदिन {एनहाईड्रस एल्कोहल (इथेनॉल) / रेक्टिफाईड स्प्रिट / एक्स्ट्रा न्युट्रल एल्कोहल उत्पादन हेतु} के साथ केप्टिव पावर जनरेशन (द्वारा फ्लूडाईज्ड बेड कम्बशन बॉयलर) टर्बो जनरेटर क्षमता 3.2 मेगावाट किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 27/09/2023 को संपन्न 154वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा पाया गया कि एस.ई. आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 195/एस.ई.आई.ए.ए.,छ.ग. /इण्ड./1525 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 07/07/2023 द्वारा जारी संशोधित पर्यावरणीय स्वीकृति के पृष्ठ क्रमांक 7 के बिन्दु क्रमांक 7. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** में **"संशोधन उपरांत 1.86 मेगावाट के स्थान पर 3.2 विद्युत मेगावाट की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति हेतु 30 टन प्रतिघंटा क्षमता के बॉयलर से प्राप्त हाई प्रेसर स्टीम का उपयोग 03 मेगावाट क्षमता के स्थान पर 3.2 मेगावाट क्षमता के टर्बो जनरेटर से विद्युत उत्पन्न की जायेगी।"** का उल्लेख है।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि** पूर्व में जारी संशोधित पर्यावरणीय स्वीकृति में 3.2 मेगावाट क्षमता के टर्बो जनरेटर का उल्लेख होने के कारण पृथक से पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स एस.के.ए. स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, ग्राम–गोंदवारा, तहसील व जिला–रायपुर

आवेदन – उद्योग द्वारा स्थापित एम.एस. बिलट्स (थ्रु इंडक्शन फर्नेस) 163044 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष एवं स्टील रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स (थ्रु हॉट चार्जिंग) क्षमता – 1,50,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु वर्तमान परिसर के साथ लगे हुए अतिरिक्त सतत भू–खण्ड (Contiguous land) को परियोजना के परिसर में समाहित कर कुल क्षेत्रफल में वृद्धि करने हेतु ईआईए अधिसूचना, 2006 के पैराग्राफ 7(ii) के अनुरूप परिवेश पोर्टल में प्रस्तुत आवेदन के तारतम्य में आवश्यक अनुमोदन हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उद्योग द्वारा पूर्व धारित भूमि 1.82 हेक्टेयर एवं वर्तमान में क्रय भूमि 1.676 हेक्टेयर भूमि को शामिल करते हुए कुल क्षेत्रफल 3.496 हेक्टेयर के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल में (प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /आईएनडी/ 299040/2021, दिनांक 25/03/2023) नो इनक्रीज इन पाल्यूशन लोड सर्टिफिकेट के तहत् एकनालेजमेंट की प्रति सहित अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

पूर्व में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 347/एस.ई.आई.ए.ए.,छ.ग./ई. सी./रायपुर/535 अटल नगर, दिनांक 06/06/2019 द्वारा मेसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, उरला औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम–गोंदवारा, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 1/4, कुल क्षेत्रफल – 1.82 हेक्टेयर (निजी भूमि 1.62 हेक्टेयर एवं सी.एस.आई.डी.सी. भूमि 0.2 हेक्टेयर) में एम.एस. बिलेट (थ्रू इण्डक्शन फर्नेस विथ सी.सी.एम) क्षमता – 1,63,044 टन प्रतिवर्ष (4 नग गुणा 12 टन) एवं री–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स (थ्रू हॉट चार्ज) क्षमता – 1,50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 27/09/2023 को संपन्न 154वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन करने के संबंध में प्रस्तुत अनुरोध पत्र में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

- उद्योग द्वारा मेसर्स लिंगराज स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड के स्टील रोलिंग मिल उद्योग को क्रय करने के उपरांत उक्त संदर्भित पर्यावरण स्वीकृति पत्र को हमारे नाम पर हस्तांतरित करने हेतु दिनांक 04/12/2021 को आपके समक्ष ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया था।

- तदुपरांत उद्योग द्वारा पत्र दिनांक 18/01/2022 (रिसीव दिनांक 19/01/2022) को ऑफलाईन पत्र द्वारा सतत भूखंड (Continuous Land) को प्रस्तुत ऑफलाईन आवेदन में जोड़ने हेतु आवेदन किया था, जिसकी अनुक्रिया में प्राधिकरण की 119वीं बैठक दिनांक 04/04/2022 में अतिरिक्त क्रय किये गये भूखण्ड को जोड़ने के आग्रह को अमान्य कर प्राधिकरण ने निम्नानुसार निर्णय लिया था।

- 119वीं बैठक दिनांक 04/04/2022 के अंश:–

1. "पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 06/06/2019 में अधिरोपित शर्तों के पालन प्रतिवेदन के अनुपालन के परिपेक्ष में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा नये क्रय किए गए अतिरिक्त भूखण्ड खसरा क्रमांक 1/21/61/81/10, 1/12 1/13, कुल क्षेत्रफल 1.676 हेक्टेयर को भी जोड़ने के अनुरोध को अमान्य किया गया। इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा विधिवत् ऑनलाईन आवेदन किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।"

- उक्त निर्णय के आधार पर आपके द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति को हस्तांतरित करने हेतु जारी पत्र दिनांक 18/10/2022 में भी उक्त भूखंड को जोड़ने हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 18/01/2022 (Recciving दिनांक 19/01/2022) को

अमान्य करते हुए उक्त भूखंड को जोड़ने हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन आवेदन करने पर आगामी कार्यवाही करने का उल्लेख किया है।

- तदैव उक्त भूखंड को जोड़ने हेतु हमने ईआईए अधिसूचना 2006 पैराग्राफ 7 (ii) के अनुसार परिवेश पोर्टल के माध्यम से विधि की अपेक्षा के अनुरूप सतत भूखंड को जोड़ने हेतु एक्रिडेटेड कंसलटेंट के द्वारा जारी "नो इनक्रीज इन पाल्यूशन लोड सर्टिफिकेट" के साथ परिवेश पोर्टल के द्वारा "ऑनलाईन आवेदन" किया गया है जिसकी अनुक्रिया में एकनालेजमेंट प्राप्त हुआ। इस एकनालेजमेंट के पैराग्राफ–05 में नए अतिरिक्त भूखंड खसरा नम्बर तथा क्षेत्रफल को समाहित कर दिया गया है तथा उक्त भूखंड को जोड़ने के बाद परिवर्तित अक्षांश देशांश को भी समाहित कर लिया गया है। उक्त आवेदन के सफलता पूर्वक प्राप्ति की सूचना आपको परिवेश पोर्टल के द्वारा ईमेल दिनांक 29/03/2023 को 12:50 अपरान्ह प्रेषित की गई है। इस ई–मेल में प्रस्तुत प्रस्ताव का सिंगल विन्डो नंबर SW/2498/2023 तथा प्रपोजल नं. SIA/UP / IND / 299040/ 2023 एवं सतत् भूखंड को जोड़ने हेतु आवेदन का उल्लेख है।

- इसके उपरांत प्राप्त एकनालेजमेंट के साथ ईआईए अधिसूचना 2006 में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुरूप सम्मति संशोधन हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के समक्ष स्थापना सम्मति में (उद्योग के कंसेंट में) उक्त भूखंड को समाहित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

- उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में भारत शासन के द्वारा जारी एकनालेजमेंट एवं ईमेल की प्रति को संलग्न करते हुए उद्योग द्वारा अनुरोध किया गया है कि आपके द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण पत्र के बिन्दु क्रमांक–2 में लिए गए निर्णय के अनुपालन हेतु हमारे द्वारा परिवेश पोर्टल में प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन एवं जारी उक्त एकनालेजमेंट को "ऑनलाईन आवेदन" के रूप में मान्य किया जाए। तदनुसार आवेदित अतिरिक्त भूखंड को समाहित किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अतिरिक्त भूखंड को समाहित किये जाने हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु ऑनलाईन आवेदन नहीं किया गया है। अतः **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** आवेदित प्रस्ताव को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रस्ताव को वर्तमान में प्राप्त प्रारुप में यथावत् डि–लिस्ट / निरस्त किया जाता है तथा परियोजना प्रस्तावक को यह सुझाव दिया जाता है कि वह भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई. आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय–समय पर जारी गाईडलाईन्स के अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–4 **पर्यावरणीय स्वीकृति में वैधता वृद्धि हेतु प्राप्त आवेदनों के संबंध में निर्णय लिया जाना।**

1. मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल्स डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, ग्राम–केसरा, तहसील–मैनपाट, जिला–सरगुजा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 50)

आवेदन – पूर्व में दिनांक 26/07/2008 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदन किया गया था। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय

स्वीकृति की वैधता वृद्धि करने के संबंध में दिनांक 19/07/2023 को अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित बॉक्साईट (मुख्य खनिज) खदान है। खदान ग्राम–केसरा, तहसील–मैनपाट, जिला–सरगुजा स्थित खसरा क्रमांक 462, कुल क्षेत्रफल – 13.13 हेक्टेयर (Non forest government revenue land) में है। खदान की आवेदित कुल उत्खनन क्षमता – 20,000 टन प्रतिवर्ष है। परियोजना की कुल लागत 10 लाख रूपये है।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 506/एस.ई.आई.ए.ए.,छ.ग./ईसी/माईनिंग/एएमबी/50 रायपुर, दिनांक 07/01/2011 द्वारा ग्राम–केसरा, तहसील–सीतापुर, जिला–सरगुजा स्थित भूमि कुल क्षेत्रफल – 13.13 हेक्टेयर, बॉक्साईट (मुख्य खनिज) खदान उत्खनन क्षमता–20,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 27/09/2023 को संपन्न 154वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता में वृद्धि करने के संबंध में प्रस्तुत अनुरोध पत्र में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार हैः–

छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (सी.एम.डी.सी.) छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम है। छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग द्वारा जिला–सरगुजा, तहसील–मैनपाट के ग्राम–केसरा स्थित केसरा बॉक्साईट खदान रकबा 13.13 हेक्टेयर को आदेश दिनांक 01/04/2006 के माध्यम से सी.एम.डी.सी. के पक्ष में खनिपट्टा स्वीकृत किया गया है। स्वीकृत खनिपट्टा की वैधता दिनांक 26/07/2006 से दिनांक 25/07/2026 तक 20 वर्षों के लिए है।

उपरोक्त प्रश्नाधीन बॉक्साईट खदान के संचालन हेतु State Level Environment Impact Assesment Authority Chhattisgarh द्वारा दिनांक 07/01/2011 को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई है। उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति आदेश दिनांक 07/01/2011 की कंडिका–xxxviii में निम्नानुसार प्रावधान है– **"The environment clearance accorded shall be valid for a period of 5 years to start of production operations by the mines."**

विदित हो कि सी.एम.डी.सी. द्वारा प्रश्नाधीन क्षेत्र पर बॉक्साईट का खनन कार्य दिनांक 25/01/2019 को आरंभ किया गया एवं उक्त की सूचना संदर्भित पत्र दिनांक 01/02/2019 के माध्यम से प्रेषित की गई। उल्लेखनीय है कि दिनांक 07/01/2011 को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता पर्यावरणीय स्वीकृति की कंडिका–xxxviii के परिपेक्ष्य में पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता अवधि दिनांक 24/01/2024 (25/01/2019 से 24/01/2024 तक 05 वर्ष) को समाप्त हो रही है। सी.एम.डी.सी. द्वारा प्रश्नाधीन खदान हेतु जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता को बढ़ाया जाना है।

सी.एम.डी.सी. के केसरा बॉक्साईट खदान रकबा 13.13 हेक्टेयर (उत्पादन क्षमता 20,000 प्रति मीट्रिक टन प्रतिवर्ष) हेतु जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता को भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेंडम दिनांक 13/12/2022 में निहित प्रावधानों के तहत् नियमानुसार बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचना/ ऑफिस मेमोरेण्डम तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा निम्नानुसार तथ्य पाये गये:–

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1807(अ), दिनांक 12/04/2022 में निम्न प्रावधान है:–

   "Provided that in the case of mining projects or activities, the validity shall be counted from the date of execution of the mining lease."

   "The prior Environmental Clearance granted for mining projects shall be valid for the project life as laid down in the mining plan approved and renewed by competent authority, from time to time, subject to a maximum of thirty years, whichever is earlier."

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 13/12/2022 के पैरा 2(i) "The validity of the Environmental Clearances, which had not expired as on the date of publication of Notification i.e. 12/04/2022, shall stand automatically extended to respective increased validity as mentioned at para no. 1 column (C) {which is 30 years}" का उल्लेख है।

3. छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन के ज्ञापन दिनांक 29/11/2017 के अनुसार "जिला सरगुजा, तहसील मैनपाट, ग्राम–केसरा के खसरा नम्बर 462 के रकबा 13.13 हेक्टेयर क्षेत्र पर खनिज बॉक्साईट का खनिपट्टा दिनांक 24/07/2006 से दिनांक 25/07/2026 तक 20 वर्ष की अवधि के लिए मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (सी.एम.डी.सी.) के पक्ष में विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 19/04/2006 द्वारा स्वीकृत किया गया था, जिसका अनुबंध निष्पादन दिनांक 24/07/2006 को किया गया।" का उल्लेख है।

प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया एवं नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में सक्षम प्राधिकारी से दिनांक 22/02/2006 को जारी अनुमोदित उत्खनन योजना में माईन लाईफ 14 वर्ष उल्लेखित थी, जो कि वर्तमान में समाप्त हो चुकी है। उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि** सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नवीनीकृत खनन योजना की प्रति प्रस्तुत किये जाने के उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल्स डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, ग्राम–केसरा, तहसील–मैनपाट, जिला–सरगुजा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 52)

आवेदन – पूर्व में दिनांक 30/07/2008 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदन किया गया था। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि करने के संबंध में दिनांक 19/07/2023 को अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित बॉक्साईट (मुख्य खनिज) खदान है। खदान ग्राम–केसरा, तहसील–मैनपाट, जिला–सरगुजा स्थित खसरा क्रमांक 807, कुल क्षेत्रफल – 9 हेक्टेयर (Non forest government revenue land) में है। खदान की आवेदित कुल उत्खनन क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष है। परियोजना की कुल लागत 8 लाख रूपये है।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 508/एस.ई.आई.ए.ए., छ.ग. /ईसी/माईनिंग/एएमबी/52 रायपुर, दिनांक 07/01/2011 द्वारा ग्राम–केसरा, तहसील–सीतापुर, जिला–सरगुजा स्थित भूमि कुल क्षेत्रफल – 9 हेक्टेयर, बॉक्साईट (मुख्य खनिज) खदान उत्खनन क्षमता–30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 27/09/2023 को संपन्न 154वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता में वृद्धि करने के संबंध में प्रस्तुत अनुरोध पत्र में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार हैः–

छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (सी.एम.डी.सी.) छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम है। छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग द्वारा जिला–सरगुजा, तहसील–मैनपाट के ग्राम–केसरा स्थित केसरा बॉक्साईट खदान रकबा 9 हेक्टेयर को आदेश दिनांक 01/04/2006 के माध्यम से सी.एम.डी.सी. के पक्ष में खनिपट्टा स्वीकृत किया गया है। स्वीकृत खनिपट्टा की वैधता दिनांक 26/07/2006 से दिनांक 25/07/2036 तक 30 वर्षों के लिए है।

उपरोक्त प्रश्नाधीन बॉक्साईट खदान के संचालन हेतु State Level Environment Impact Assesment Authority Chhattisgarh द्वारा दिनांक 07/01/2011 को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई है। उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति आदेश दिनांक 07/01/2011 की कंडिका–xxxviii में निम्नानुसार प्रावधान है– **"The environment clearance accorded shall be valid for a period of 5 years to start of production operations by the mines."**

विदित हो कि सी.एम.डी.सी. द्वारा प्रश्नाधीन क्षेत्र पर बॉक्साईट का खनन कार्य दिनांक 25/01/2019 को आरंभ किया गया एवं उक्त की सूचना संदर्भित पत्र दिनांक 01/02/2019 के माध्यम से प्रेषित की गई। उल्लेखनीय है कि दिनांक 07/01/2011 को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता पर्यावरणीय स्वीकृति की कंडिका–xxxviii के परिपेक्ष्य में पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता अवधि दिनांक 24/01/2024 (25/01/2019 से 24/01/2024 तक 05 वर्ष) को समाप्त हो रही है। सी.एम.डी.सी. द्वारा प्रश्नाधीन खदान हेतु जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता को बढ़ाया जाना है।

सी.एम.डी.सी. के केसरा बॉक्साईट खदान रकबा 9 हेक्टेयर (उत्पादन क्षमता 30,000 प्रति मीट्रिक टन प्रतिवर्ष) हेतु जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता को भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेंडम दिनांक 13/12/2022 में निहित प्रावधानों के तहत् नियमानुसार बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचना/ ऑफिस मेमोरेण्डम तथा परियोजना

प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा निम्नानुसार तथ्य पाये गये:–

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1807(अ), दिनांक 12/04/2022 में निम्न प्रावधान है:–

   "Provided that in the case of mining projects or activities, the validity shall be counted from the date of execution of the mining lease."

   "The prior Environmental Clearance granted for mining projects shall be valid for the project life as laid down in the mining plan approved and renewed by competent authority, from time to time, subject to a maximum of thirty years, whichever is earlier."

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 13/12/2022 के पैरा 2(i) "The validity of the Environmental Clearances, which had not expired as on the date of publication of Notification i.e. 12/04/2022, shall stand automatically extended to respective increased validity as mentioned at para no. 1 column (C) {which is 30 years}" का उल्लेख है।

3. छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन के ज्ञापन दिनांक 29/11/2017 के अनुसार "जिला सरगुजा, तहसील मैनपाट, ग्राम–केसरा के खसरा नम्बर 807 के रकबा 9 हेक्टेयर क्षेत्र पर खनिज बॉक्साईट का खनिपट्टा दिनांक 26/07/2006 से दिनांक 25/07/2036 तक 30 वर्ष की अवधि के लिए मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (सी.एम.डी.सी.) के पक्ष में विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 01/04/2006 द्वारा स्वीकृत किया गया था, जिसका अनुबंध निष्पादन दिनांक 26/07/2006 को किया गया।" का उल्लेख है।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि** भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना एवं ऑफिस मेमोरेण्डम के आधार पर एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 07/01/2011 को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता खनन पट्टे की निष्पादन तारीख (दिनांक 26/07/2006) से 30 वर्ष (दिनांक 25/07/2036) तक के लिए वैध रहेगी।

प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया एवं नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में सक्षम प्राधिकारी से दिनांक 22/02/2006 को जारी अनुमोदित उत्खनन योजना में माईन लाईफ 15 वर्ष उल्लेखित थी, जो कि वर्तमान में समाप्त हो चुकी है। उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि** सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नवीनीकृत खनन योजना की प्रति प्रस्तुत किये जाने के उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–5 **ऑनलाईन में डुप्लिकेट फाईल आवेदन होने के कारण वापस/डि–लिस्ट/निरस्त हेतु प्राप्त अनुरोध पत्र के संबंध में निर्णय लिया जाना।**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल में टी.ओ.आर./पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन करने के दौरान त्रुटिवश डुप्लिकेट फाईल आवेदन हो गया है। अतः परियोजना प्रस्तावकों द्वारा निम्न डुप्लिकेट फाईल को वापस/डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने बाबत् अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है:–

क्र.	खदान का नाम एवं पता	प्रपोजल क्रमांक	फाईल क्रमांक	ऑनलाईन आवेदन दिनांक	आवेदन वापस लिये जाने बाबत् प्राप्त अनुरोध पत्र दिनांक
1.	मेसर्स खाड़ा ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी एण्ड फिक्स चिमनी प्लांट (प्रो.– श्री देवशरण साहू), ग्राम–खाड़ा, तहसील–बैकुण्ठपुर, जिला – कोरिया	227365 मिट्टी	–	25/08/2023	20/07/2023
2.	मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल्स डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, ग्राम–सरभंजा, तहसील–मैनपाट, जिला–सरगुजा	413918 बॉक्साईट	2265	10/01/2023	21/07/2023
3.	मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल्स डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, ग्राम–कमलेश्वरपुर, तहसील–मैनपाट, जिला–सरगुजा	414451 बॉक्साईट	2269	16/01/2023	21/07/2023
4.	मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल्स डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, ग्राम–नर्मदापुर एवं कुनिया, तहसील–मैनपाट, जिला–सरगुजा	414719 बॉक्साईट	2270	16/01/2023	21/07/2023
5.	मेसर्स तरेगांव मैदान लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री बिशनाथ वर्मा), ग्राम–तरेगांव मैदान, तहसील–बोडला, जिला–कबीरधाम	414868 पत्थर	2277	18/01/2023	26/07/2023
6.	मेसर्स गोदावरी पॉवर एण्ड इस्पात लिमिटेड (आरीडोंगरी आयरन ओर माईन), ग्राम–कच्चे एवं पर्रेकोदो, तहसील–भानुप्रतापपुर,	407509 आयरन ओर	2205	22/11/2022	18/08/2023

	जिला–उत्तर बस्तर कांकेर				
7.	मेसर्स सारायपाली ओपन कास्ट कोल माईन प्रोजेक्ट (साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड), ग्राम–बुडबुड, तहसील–पाली, जिला–कोरबा	414024 **कोल माईन**	–	20/01/2023	21/08/2023
8.	मेसर्स सारायपाली ओपन कास्ट कोल माईन प्रोजेक्ट (साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड), ग्राम–बुडबुड, तहसील–पाली, जिला–कोरबा	415344 **कोल माईन**	2283	21/01/2023	21/08/2023
9.	मेसर्स श्री भागचंद जैन (चवेली लाईम स्टोन क्वारी, प्रो.– श्री भागचंद जैन), ग्राम–चवेली, तहसील व जिला–राजनांदगांव	420777 **पत्थर**	2331	06/03/2023	21/08/2023
10.	मेसर्स मॉ मनी आयरन एण्ड स्टील कंपनी, ओ.पी. जिंदल इण्डस्ट्रीयल पार्क पूंजीपथरा, ग्राम–तुमिडिह, जिला–रायगढ़	214256 **उद्योग**	–	06/06/2021	22/08/2023
11.	मेसर्स श्री तुलसी फॉस्फेट्स लिमिटेड, बिरकोनी औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम–बिरकोनी, तहसील व जिला–महासमुंद	402302 **उद्योग**	2162	08/10/2022	23/08/2023

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 27/09/2023 को संपन्न 154वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा अनुरोध पत्र का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** परियोजना प्रस्तावकों के अनुरोध को स्वीकार करते हुये आवेदनों को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावकों को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(अरूण प्रसाद पी.)
सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

(देबाशीष दास)
अध्यक्ष,
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़